



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2005.06

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

म.प्र. कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005–06

सामान्य

1. प्रस्तावना :-

कोषालयों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गई है। कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। सभी कोषालय निम्नानुसार दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं –

1. शासन को प्रदेय धनराशि की प्राप्ति एवं शासन की ओर से भुगतान की जाने वाली धनराशि को लेखों में समुचित ढंग से दर्शाना, एवं
2. प्रारंभिक लेखे तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित/उपलब्ध कराना ताकि महालेखाकार अपने उत्तरदायित्व के अंतर्गत मासिक लेखों का समय से संकलन कर सकें तथा वार्षिक वित्त एवं विनियोजन लेखे तैयार कर सकें।

1.1 संरचना/संगठन –

मध्य प्रदेश राज्य में 53 कोषालय एवं 159 उप कोषालय हैं। सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय, कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय, उप कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं।

2. संकलन :-

कोषालयों के कार्यों का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित दो भागों में संकलित किया गया है –

भाग-I

महालेखाकार (लेखा एवं हक) मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कोषालयों द्वारा प्रेषित अभिलेखों की जांच के दौरान पाई गई त्रुटियां/अनियमितताएं।

भाग- II

इस कार्यालय द्वारा किए गए कोषालयों एवं उपकोषालयों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गयी त्रुटियां/अनियमितताएं।

भाग—प्रथम

2.1 विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालयों/उप कोषालयों का निरीक्षण –

म.प्र. कोष संहिता खण्ड-1 के सहायक नियम 38, 38-अ, एवं 39 के प्रावधानानुसार आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र. द्वारा जिला कोषालय जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल एवं इंदौर कोषालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना चाहिये तथा अन्य जिला कोषालयों एवं उप कोषालयों का निरीक्षण क्रमशः तीन वर्ष एवं 6 वर्ष में एक बार करना चाहिये । निरीक्षण मुख्यतः प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये ।

क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा अपने संबंधित मुख्यालय के जिला कोषालयों का वर्ष में एक बार तथा संभाग के अन्य कोषालयों का तीन वर्ष में विस्तृत निरीक्षण करना चाहिये, इसके अलावा उनके द्वारा एक तिहाई उप कोषालयों का विस्तृत निरीक्षण स्वयं तथा शेष दो तिहाई उप कोषालयों का निरीक्षण वर्ष में एक बार आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार जिलाध्यक्ष द्वारा जिला कोषालय का निरीक्षण प्रत्येक 6 माह में एक बार तथा अधीनस्थ उप कोषालयों का निरीक्षण वर्ष में एक बार किया जाना चाहिये । कोषालय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ उपकोषालयों का निरीक्षण वर्ष में दो बार रोस्टर बनाकर सुनिश्चित करना चाहिए ।

इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2005-06 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में पाई गई विभागीय निरीक्षण की कमी को दर्शाया गया है ।

2.2 कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण –

समस्त कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम म.प्र. ग्वालियर को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं। लेखे की प्रथम सूची जिसमें माह की एक तारीख से दस तारीख तक के लेन देन सम्मिलित रहते हैं, उसी माह की तेरह तारीख से सत्रह तारीख के मध्य महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये । लेखे की द्वितीय सूची जिसमें ग्यारह तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, अगले माह की पाँच से आठ तारीख तक इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये ।

समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 636 लेखों में से 22 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये है । कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में सामान्यतः 5 से 16 दिनों का विलम्ब किया गया है । विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या – 1 में दर्शाया गया है ।

2.3 आपत्ति पुस्तिका उचंत –

कोषालयों के मासिक लेखाओं के साथ संबंधित प्रमाणक प्राप्त न होने की स्थिति में भुगतान की राशि इस कार्यालय के लेखाओं में अंतिम रूप से संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हो पाती है और यह राशि आपत्ति पुस्तिका उचंत लेखा शीर्ष में रखी जाती है। यह राशि आपत्ति पुस्तिका उचंत में तब तक लंबित रहती है जब तक कि प्रमाणक (मूल या डुप्लीकेट) कोषालयों से प्राप्त नहीं हो जाते । प्रमाणकों के प्राप्त होने पर उक्त राशियों का

समायोजन कर लिया जाता है । प्रमाणक स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो सके है । जिस कारण आपत्ति पुस्तिका उचंत शीर्ष में रखी गई राशियां लंबित चल रही है ।

आपत्ति पुस्तिका उचंत शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.3.2006 को अवशेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

विवरण	डेबिट नामे रूपये में	क्रेडिट जमा रूपये में
दिनांक 1.4.2005 को प्रारम्भिक शेष	54,07,80,756.29	64,51,496.07
दिनांक 1.4.2005 से 31.03.2006 तक वृद्धि (अनुपूरक लेखों को सम्मिलित करते हुए)	108276764.00	45734.00
दिनांक 1.4.2005 से 31.03.2006 तक निराकरण (अनुपूरक लेखों को सम्मिलित करते हुए)	189673336.00	250613.56
दिनांक 31.03.2006 को अंत शेष (अनुपूरक लेखों को सम्मिलित करते हुए)	459384184.29	6246616.51

आपत्ति पुस्तिका उचंत शीर्ष में दिनांक 20.10.06 की स्थिति में विभिन्न कोषालयों के लंबित मदों का विवरण परिशिष्ट संख्या-2 में दर्शाया गया है ।

2.4 कोषालय उचंत -

उन मामलों में जहाँ कोषालय अनुसूची में दी गई राशियाँ भुगतान सूची/रोकड़ लेखे से मेल नहीं खाती हैं अथवा जहाँ कोषालय से प्राप्त भुगतान सूची में वर्गीकरण अपूर्ण रहता है, ऐसी राशियों को कोषालय उचंत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है । कोषालय उचंत शीर्ष में दिनांक 31.3.2006 को अवशेषों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

मद	डेबिट नामे रूपयों में	क्रेडिट जमा रूपयों में
दिनांक 1.4.2005 को प्रारम्भिक शेष	1,35,74,904.00	40,76,586.40
दिनांक 1.4.2005से 31.03.2006 तक वृद्धि (अनुपूरक लेखाओं को सम्मिलित करते हुए)	5072710.00	389856.00
दिनांक 1.4.2005से 31.03.2006 तक निराकरण (अनुपूरक लेखाओं को सम्मिलित करते हुए)	(-)11785736.00	1142914.00
दिनांक 31.3.2006 को अंत शेष (अनुपूरक लेखे सहित)	6861878.00	3323528.40

दिनांक 20.10.06 की स्थिति में कोषालय उचंत के अंतर्गत लंबित राशियों का विवरण परिशिष्ट संख्या-3 में दिया गया है। संबंधित कोषालयों से अपेक्षा है कि लंबित उचंत राशि के निराकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

2.5 डाक जीवन बीमा की वांछित अनुसूचियाँ –

वर्ष 2005-06 के दौरान कतिपय मामलों में कोषालयों से डाक जीवन बीमा की अनुसूचियाँ प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप रू0 16080=00 की राशि डाक महापाल कोलकत्ता को प्रेषित नहीं की जा सकी । फलतः पालिसी धारकों के लेखे अपूर्ण रहे । कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में दर्ज डाक जीवन बीमा की राशियों के समर्थन में कटोत्रा पत्रक या तो भेजे ही नहीं गये या कम राशि के भेजे गये ।

वर्ष 2005-06 में कोषालयों से वांछित डाक जीवन बीमा अनुसूचियों का विवरण परिशिष्ट संख्या-4 पर दर्शाया गया है ।

2.6 कोषालय लेखे के साथ प्रेषित आर.बी.डी. पत्रक में अनियमिततायें –

कोषालय लेखे के साथ प्रेषित आर.बी.डी. पत्रक में निम्नांकित अनियमिततायें रहती हैं जिनके कारण बैंक आंकड़ों के विरुद्ध कोषालयीन आंकड़ों का मिलान करना एवं विसंगतियों के निराकरण हेतु कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाता है ।

2.6.1. कार्य विधि के अनुसार मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रक (डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर दो प्रतियाँ कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक मिल जाना चाहिये, परन्तु ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है । इस संबंध में यह सुझाव है कि ये पत्रक अगले माह के प्रथम सूची लेखा प्रेषण के समय कोषालय संदेश वाहक के माध्यम से प्रेषित किये जावे तो विलम्ब से बचा जा सकता है ।

वर्ष 2005-06 में अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रकों (व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण परिशिष्ट संख्या-5 में दर्शाया गया है ।

2.6.2. कुछ मामलों में मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रक कभी-कभी उप कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापित कर भेजे जाते हैं जबकि वे जिला कोषालय के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्राप्त होना चाहिये । ऐसे प्रकरणों में जिला कोषालय अधिकारी द्वारा पृथक से प्रेषित आय-व्यय पत्रक तथा उप कोषालय अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रक में दर्शाये गये आंकड़ों में अन्तर पाया गया है । व्ही.डी.एम.एस. में कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन में निवल राशि न दर्शाने का कोषालयवार विवरण परिशिष्ट संख्या-6 में दर्शाया गया है ।

2.6.3. मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रकों में सुधार/संशोधन बैंक शाखा एवं कोषालय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करते हुये सत्यापित होने चाहिये कई प्रकरणों में इसका पालन नहीं किया गया है ।

2.6.4. नई बैंक शाखाओं द्वारा किया गया लेन-देन कोषालयों द्वारा मुख्य शाखा के लेन-देन में शामिल कर आर.बी.डी. पत्रक प्रेषित किया जाता है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी शाखाओं के लेन-देन शाखावार प्रेषित किये जाते हैं जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत दो शाखाओं के अंकों में समतुल्य अंतर के कारण अनावश्यक विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं ।

2.6.5. कुछ मामलों में कोषालय के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं आर.बी.डी. पत्रकों के अंकों में अन्तर पाया गया है । मार्च 2006 की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों का विवरण परिशिष्ट संख्या-7 में दर्शाया गया है ।

2.6.6. आर.बी.डी. अंको में सुधार हेतु विभिन्न कोषालयों से विभिन्न माहों की जानकारी अप्राप्त है । कोषालयवार वांछित जानकारी का विवरण परिशिष्ट संख्या-8 में दिया गया है ।

2.7 वर्ष 2005-06 के अन्त में राज्य के लोक लेखे के ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्ष में ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष-

वर्ष 2005-06 के लेखे में विस्तृत शीर्ष स्तर तक परिलक्षित ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत जून 2006 की समाप्ति पर निम्न विवरण अनुसार राशि रु. 433494607.09 ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष लंबित है जिनके निराकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

**वर्ष 2005-06 तक लंबित ऋणात्मक/प्रतिकूल शेषों की सूची
(जून 2006 के अन्त की स्थिति में)**

क्र.	विवरण	मु.शी.	राशि
1	7610-शासकीय सेवकों को ऋण एवं अग्रिम 202-मोटर साईकिल/वाहन अग्रिम अखिल भारतीय सेवायें	---	1322471.65
	मोटर साईकिल/वाहन अग्रिम का कुल लंबित प्रतिकूल शेष		1322471.65
	8009-राज्य भविष्य निधि 0002-विभागीय भविष्य निधि		
2	विक्रय कर	2040	19915903.09
3	वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	2045	291989.30
4	अन्य राजकोषीय सेवायें	2047	715522.00
5	सचिवालय सामान्य सेवायें	2052	28679921.95
6	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058	13176881.62
7	तकनीकी शिक्षा	2203	16600242.00
8	खेल एवं युवा सेवायें	2204	12345340.00
9	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210	139374072.35
10	मृदा एवं जल संरक्षण	2402	3221133.85
11	पशु पालन	2403	89543664.32
12	मत्स्य पालन	2405	17958481.15
13	वन एवं वन्य जीवन	2406	77272592.31
14	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515	12963233.50
15	सड़क एवं पुल	3054	38158.00
16	सिविल सप्लाईस	3456	75000.00
	विभागीय भविष्य निधि का कुल लंबित प्रतिकूल शेष		432172135.44

वर्ष 2005-06 तक कुल लंबित प्रतिकूल शेष का महायोग : **433494607.09**

2.8 कोषालयों के मासिक लेखों में पाई गई त्रुटियां –

वर्ष 2005-06 में विभिन्न कोषालयों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में निम्न त्रुटियां पाई गयी :-

2.8.1. कोषालय ग्वालियर द्वारा त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण निम्न विवरणों अनुसार गलत राशि सूचित की गई :-

माह	शीर्ष 8658-उचंत लेखा, 109-रिजर्व बैंक उचंत के अंतर्गत दर्ज भुगतान राशि		शीर्ष 8658-उचंत लेखा, 109-रिजर्व बैंक उचंत के अंतर्गत दर्ज प्राप्ति राशि		शीर्ष 8658-उचंत लेखा, 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय के अंतर्गत दर्ज प्राप्ति राशि	
	कोषालय द्वारा सूचित राशि	वास्तविक भुगतान राशि	कोषालय द्वारा सूचित राशि	वास्तविक प्राप्ति राशि	कोषालय द्वारा सूचित राशि	वास्तविक प्राप्ति राशि
5 / 05	402849734.00	402843432.00	—	—	37542627.00	37541862.00
6 / 05	—	—	977027.00	972348.00	21765902.00	21770581.00
7 / 05	—	—	—	—	382438.00	372317.00
10 / 05	—	—	19468161.00	5257723.00	—	14210438.00
11 / 05	—	—	4011891.00	4001217.00	6384.00	16778.00
12 / 05	—	—	16974077.00	5488328.00	16282659.00	27768408.00
1 / 06	—	—	3005103.00	2993879.00	14164333.00	14175555.00
2 / 06	—	—	15964047.00	15963847.00	—	—
3 / 06	106806017.00	106792403.00	33801406.00	31956226.00	26454434.00	28299614.00

2.8.2. विभिन्न कोषालयों द्वारा परिशिष्ट संख्या-9 में दर्शाये अनुसार राशियों को गलत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत कर मासिक लेखे प्रेषित किये गये हैं ।

अन्य कमियां

2.8.3. कोषालय छतरपुर, कोषालय बुरहानपुर तथा कोषालय सीहोर द्वारा वर्ष 2005-06 के सभी मासिक लेखों की राज्य अदायगी सूचियां एवं रोकड़ लेखे कम्प्यूटर से तैयार न करके हाथ से तैयार करके भेजे गये ।

2.8.4. कोषालय रायसेन के माह 1/06, 2/06 एवं 3/06 के सिविल कोर्ट डिपोजिट, शैक्षिक संस्थाओं के डिपोजिट, व्यक्तिगत जमा तथा राजस्व जमा के धन ऋण पत्रक विलंब से प्राप्त हुए ।

2.8.5. निम्नलिखित कोषालयों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य दायित्वों का विभाजन संबंधी उपशीर्ष 9997 छत्तीसगढ़, 9998 मध्य प्रदेश, 9999 एकीकृत मध्य प्रदेश के अंतर्गत राशि वर्गीकृत कर नहीं भेजी गई :-

(i) बालाघाट (ii) छिन्दवाड़ा (iii) छतरपुर (iv) जबलपुर सिटी (v) वल्लभ भवन (vi) विन्ध्याचल (भोपाल) (vii) मोतीमहल (ग्वालियर) (viii) इंदौर सिटी (ix) उज्जैन तथा (x) दतिया ।

भाग—दो

3.0 कोषालयों एवं उपकोषालयों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियां

3.1 वर्ष 2005-06 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2005-06 के दौरान इस कार्यालय द्वारा 44 कोषालयों एवं 145 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उपकोषालयों का विवरण परिशिष्ट संख्या - 10 में दर्शाया गया है।

3.2 वर्ष 2005-06 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है -

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2005 को प्रारंभिक शेष	271	749	65	120
वर्ष के दौरान वृद्धि	214	988	09	16
योग	485	1737	74	136
वर्ष के दौरान निराकरण	158	523	26	50
दि.31.3.06 को अंतशेष	327	1214	48	86

3.3 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
87-88	निरंक	निरंक	1	3
90-91	1	3	1	1
93-94	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
94-95	निरंक	निरंक	1	1
95-96	2	32	2	9
96-97	निरंक	निरंक	1	3
97-98	12	54	1	5
98-99	3	4	1	1
99-2000	2	2	निरंक	निरंक
2000-01	8	17	3	4

2001-02	10	16	2	5
2002-03	28	37	12	15
2003-04	15	16	6	16
2004-05	49	99	9	8
2005-06	197	934	8	15
कुल योग	327	1214	48	86

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष 2005-06 में 158 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 523 कंडिकाओं तथा 26 व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 50 कंडिकाओं का निराकरण किया जा सका ।

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं के शीघ्र निराकरण करने हेतु सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है ।

3.4 कोषालय अधिकारियों द्वारा बैंकों से अधिक भुगतान की गई पेंशन/परिवार पेंशन की राशि की वसूली करवाना तथा पेंशन प्रकरणों की जांच का कार्य नियमित किया जाना -

संचालक, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/कोष/प्राक्कलन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 दिनांक 10.08.2000 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि कोषालय अधिकारी अपने जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुगतान किये गये कुल पेंशन की संख्या के दो प्रतिशत के बराबर प्रकरणों की जांच प्रत्येक माह में करेंगे । यदि बैंक शाखा में एक प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में बैंक द्वारा प्रदत्त राशि एवं कोषालय द्वारा संगणित राशि के मध्य अन्तर की स्थिति पैदा होती है तो संबंधित बैंक शाखा से सम्पर्क कर उस बैंक शाखा के सभी पेंशन प्रकरणों की विशेष जांच करायी जाये ।

समीक्षा वर्ष 2005-06 में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिशिष्ट - 11 में वर्णित कोषालयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य पेंशनभोगियों को किए गए पेंशन/परिवार पेंशन भुगतानों की जांच न करने के फलस्वरूप इन सार्वजनिक बैंकों द्वारा परिवार पेंशन के प्रकरणों में बढ़ी दर से भुगतान करना जारी रहा जिससे राशि रु. 47.92 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

3.5 पांचवे वेतन आयोग के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन के अतिरिक्त सारांशीकृत मूल्यों की राशि में अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9/8/2002/नियम चार दिनांक 25.10.02 के द्वारा शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन कम्प्यूटेशन नियम 1996 के विषय में स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पेंशन कम्प्यूटेशन की व्यवस्था में यह सिद्धांत निहित है कि पेंशन कम्प्यूटेशन मूल्य, आगामी वर्षों में पेंशन से होने वाली कटौतियों की राशि की एक निर्धारित दर पर डिस्काउंट करते हुए प्रगणित की गई राशि के बराबर होगी अतः यदि कम्प्यूटेशन के कारण पेंशन की रकम में कटौती विलम्ब से प्रारंभ होती है तो पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य में भी तदनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है । ऐसा न होने पर शासन को अनावश्यक रूप से वित्तीय हानि उठानी पड़ती है तथा पेंशन कम्प्यूटेशन अंतर्गत किया गया संव्यवहार दोनों पक्षों के लिये समरूप नहीं रहता ।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन के कम्प्यूटेशन के मूल्य की गणना उसी वर्ष में आयु के आधार पर की जाये जिस वर्ष में पेंशन की कटौती प्रारंभ हो तथा यह व्यवस्था मूल पेंशन एवं पुनरीक्षित पेंशन दोनों के मामलों में समान रूप से लागू की जाये ।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन कम्प्यूटेशन) नियम 1996 के अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरण जिनमें नियम 8 की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान हो गया उसकी पेंशनों से वसूली तत्काल संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा / जिला कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जावे । इस संबंध में दिनांक 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रकरण जिन्हें दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान के संदर्भ में पुनरीक्षित किया गया हो तथा उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान किया गया हो, को विशेष रूप से देखा जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2005-06 में विभिन्न कोषालयों के निरीक्षण में पाया गया कि दि. 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया है तथा पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान किया गया है । किन्तु पुनरीक्षित पेंशन में से सारांशिकृत राशि की गणना विभाग के उक्त आदेश 25.10.02 के पैरा 4 के अनुसार पेंशन की कटौती प्रारंभ होने के वर्ष की आयु के आधार पर नहीं की गई है । जिस कारण परिशिष्ट संख्या-12 में वर्णित कोषालयों द्वारा राशि रु. 56.46 लाख का अधिक भुगतान किया गया है । कोषालयों द्वारा इन प्रकरणों की समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

3.6 राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो शासन की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित किये जाते हैं, वित्त वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि के सेवा शीर्ष में ऋणनामं कर बन्द किये जाने चाहिये । यदि आवश्यकता पड़ती है तो खातों को पुनः सामान्य रीति से खोला जा सकता है ।

समीक्षा वर्ष 2005-06 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिनमें समेकित निधि को विकलित कर राशि जमा कराई गई थी को वर्ष के अन्त में उक्त नियम के प्रावधान अनुसार परिशिष्ट संख्या - 13 के विवरण अनुसार इन खातों में दिनांक 31.3.06 तक राशि रु. 72.14 करोड को ऋण नामं देकर खातों को बन्द नहीं किया गया है ।

3.7 तीन वर्ष से अधिक अवधि से निष्प्रभावी व्यक्तिगत जमा खातों की राशि रु. 1479337.00 की राजस्व जमा में अंतरण न करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया

जावे । यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल होता है अथवा कोषालय अधिकारी को व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है तो कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर लेखा के शेष को राजस्व जमा में जमा करेगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी इन खातों में जमा शेष राशि को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । परिशिष्ट संख्या – 14 में दिये विवरणानुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने से राशि रु. 33007786.27 राजस्व निक्षेप में अंतरित नहीं की गयी ।

3.8 अदावाकृत राजस्व जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये रु. 25.00 से अनाधिक की राशियों को उस समय समाप्त हो रहे वर्ष अवधि में अंशतः वापसी भुगतान की गई पच्चीस रुपये से अनधिक की जमा राशियों की तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से भी अधिक समय तक नहीं निकाली गई समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में आकलित किया जावेगा । इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या – 15 में दिये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि रु. 137987421.83 को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया गया ।

3.9 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 582 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा । कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2005–06 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या – 16 में दर्शाये अनुसार न्यायालयीन अभिलेख अनुसार सूचित राशि तथा कोषालयीन/उपकोषालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर का बिना निराकरण किये लेखा महालेखाकार

को प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार (परिशिष्ट संख्या – 16 के अनुसार) कुल अन्तर राशि रु. 1901769.00 के निराकरण की कार्यवाही अपेक्षित है ।

3.10 अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर कार्यालय महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2005–06 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या – 17 में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित कुल 1885 व्यक्तिगत खातों में से केवल 230 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हैं जबकि 1655 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे ।

3.11 कोषालय नियम 27 (टी.आर. 27) के अंतर्गत राशियों का अनियमित भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के नियम 27 के अनुसार आवश्यकता की परिस्थितियों में कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के उपबंधों का पालन किये बगैर कोषालय अधिकारी को पेंशन भुगतान को छोड़कर, कोई भी भुगतान करने के लिये अधिकृत कर सकता है । ऐसे प्रकरण में कलेक्टर अपने आदेश की प्रति तथा ऐसी परिस्थितियां दर्शाने वाला प्रपत्र तुरन्त महालेखाकार को भेजेगा तथा कोषालय अधिकारी भुगतान की सूचना तुरन्त महालेखाकार को देगा ।

इन नियमों के अधीन विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता सामान्य परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिये । ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल वास्तविक आवश्यकताओं के समय ही किया जाना चाहिये जैसे— बाढ़, भूकम्प तथा ऐसे ही अन्य कारण ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों/उपकोषालयों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त नियम का गलत उपयोग कर मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त अन्य मुख्य शीर्षों से बिना कलेक्टर की आवश्यक स्वीकृति के राशियों का आहरण किया गया । उक्त मुख्य शीर्षों से आहरित राशियों का व्यय कार्यालय व्यय, पी.ओ.एल, यात्रा भत्ता आदि भुगतानों हेतु किया गया । कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उक्त नियम का पालन न करते हुए आहरण अधिकारियों के देयक पारित कर भुगतान की परिस्थितियों का ब्यौरा एवं भुगतान से संबंधित रिपोर्ट भी महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना नहीं पाया गया ।

इस प्रकार टी.आर. 27 के अंतर्गत परिशिष्ट-18 के विवरण अनुसार कुल राशि रु. 1069530563.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

3.12 सहायक अनुदान के आहरणों की बिना जांच किये कोषालयों द्वारा अनियमित भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 426 के अनुसार सहायता अनुदान, अंशदान इत्यादि के देयक जब तक विभागीय विनियमों द्वारा कोई वैकल्पिक प्रपत्र अधिकृत नहीं किया गया हो प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 उपयोग में लाया जाना चाहिये । जब तक किसी प्रकरण में स्वीकृतकर्ता अधिकारी अन्यथा निर्देशित न करे देयक अनुदान ग्रहिता द्वारा तैयार एवं प्रमाणित किया जावेगा तथा जब तक उस पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी या ऐसे अन्य किसी शासकीय अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर न हो जाये कोषालय अधिकारी द्वारा ऐसे देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

समीक्षा वर्ष 2005-06 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान राशियों के आहरण हेतु विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर/ प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करने से बचने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने से बचने के लिये अनुदान देयक निर्धारित प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 में तैयार न करके साधारण पावती प्रपत्र, एम.पी.टी.सी. 76 अथवा एफ.व्ही.सी. प्रपत्र पर तैयार कर कोषालयों में प्रस्तुत किये गये जिन्हें कोषालयों द्वारा बिना जांच एवं आपत्ति किये पारित कर भुगतान किया गया । इस प्रकार परिशिष्ट संख्या-19 में दिये विवरण अनुसार राशि रू. 228293859.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

3.13 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु राशियों का अनियमित आहरण किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना एक गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या - 20 में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरण अधिकारियों द्वारा उनको वर्ष 2005-06 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आवंटित संपूर्ण राशि/अखर्चित राशि पर माह मार्च 2006 में एक मुश्त अग्रिम आहरण कर राशि को व्यक्तिगत जमा खाते अथवा बैंक खाते में जमा किया गया ताकि राशि का व्यय/ उपयोग आगामी वर्ष में सुविधानुसार किया जा सके । चूंकि राशि का व्यय वर्ष 2005-06 में किया जाना था परंतु राशि अखर्चित रहने पर व्यक्तिगत जमा/बैंक खाते में जमा करने से अनियमितता की गई है । इस प्रकार कोषालयों द्वारा कुल राशि रू. 213075971.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

3.14 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न किया जाना

आयकर अधिनियम की धारा 194 एच के अनुसार दिनांक 1.6.01 से कोषालय से देय कमीशन/दलाली (ब्रोकरेज) यदि एक वित्तीय वर्ष में कमीशन की राशि रू. 2500.00 से अधिक है तो सम्पूर्ण राशि पर समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार कोषालय अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले ऐसे कमीशन या ब्रोकरेज पर आयकर एवं अधिभार की कटौती स्रोत पर ही की जानी चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2005-06 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा दिनांक 1.6.01 से अनुज्ञप्त मुद्रांक विक्रेताओं को विक्रय किये गये मुद्रांकों पर देय कमीशन/ छूट से समय समय पर निर्धारित दर से आयकर एवं अधिभार की राशि रु. 13232464.00 कटौती स्रोत से नहीं की गई है । जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या - 21 में दर्शाया गया है ।

3.15 मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक/अप्रत्याक्षित भण्डारण परिणामतः राज्य शासन के धन का अपव्यय

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.डी.टी.ए./ज-16/70-71/2394, दिनांक 9.4.71 के पैरा (8) के अनुसार कोषालय हेतु 15 माह के तथा उपकोषालय हेतु 3 माह के विक्रय हेतु आवश्यक स्टाम्प ही रखे जाने चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया विभिन्न कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक/अनावश्यक भण्डारण रखा गया जिस कारण मुद्रांकों के छपाई, परिवहन तथा उनके रखरखाव पर होने वाला व्यय निरर्थक है । जिन कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मुद्रांकों का भण्डारण रखा गया है उनका विवरण परिशिष्ट संख्या -22 में दिया गया है ।

3.16 प्रतिबन्धित अवधि के पश्चात राशियों का भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्र. ई.डी.पी./कम्प्यूटराइजेशन/ 04/3354 दिनांक 28.3.05 एवं आदेश क्र. एल-17/8/ब-7/चार/2005-06 दिनांक 16.3.06 के द्वारा यह आदेशित किया गया था कि कोषालय द्वारा देयक क्रमशः दिनांक 29.3.05 एवं 28.3.06 को सांय 5 बजे तक ही ग्राह्य किये जा सकेंगे । उक्त तिथि के उपरांत देयक वित्त विभाग की अनुमति से ही कोषालय में प्राप्त किये जा सकेंगे ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शासन द्वारा मार्च 2005 एवं 2006 हेतु क्रमशः दिनांक 29.3.05 एवं 28.3.06 के पश्चात राशियों के आहरण हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध के बावजूद विभिन्न कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा प्रतिबन्धित दिनांक के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत देयकों को स्वीकार कर कुल राशि रु. 53868240.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या - 23 में दर्शाया गया है ।

3.17 बिना आहरण एवं संवितरण प्राधिकार पत्र के अनाधिकृत अवधि में अनियमित भुगतान -

म.प्र.कोषालय संहिता भाग-एक के मूल नियम 15-सी एवं 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोषालय अधिकारी अस्थाई कार्यालय के आहरण अधिकारी को आहरण की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक महालेखाकार कार्यालय से कोषालय अधिकारी को आहरण एवं संवितरण प्राधिकार-पत्र प्राप्त नहीं हो जाते ।

वर्ष 2005-06 के दौरान कोषालयीन निरीक्षण में पाया गया कि कोषालय अधिकारियों द्वारा उक्त नियम का पालन न करते हुये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को रु. 17526428.00 का अनियमित भुगतान किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या - 24 में दिया गया है ।

3.18 भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन एवं समाधान अनुदेशों का राज्य सरकार के लेन देन हेतु लेखांकन प्रक्रिया का पालन न किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई के पत्र क्र. स.बै.ले.वि.जी.ए.डी.एच./698/31.04.008/2002-03 दिनांक 17.6.03 द्वारा कोषालय/उपकोषालय एवं एजेंसी बैंक के लिये राज्य सरकार के लेन देन हेतु लेखांकन और समाधान अनुदेशों के ज्ञापन में प्रक्रिया निहित की है, जिसके तहत उपकोषालय अधिकारी द्वारा लेन देन वाली बैंक से पासबुक के साथ बैंक स्कूल, चैक, चालान प्राप्त करेगा तथा उसकी सहायता से पासबुक की प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच कर निर्धारित स्तंभ में आद्याक्षर करेंगे, तथा पासबुक बैंक को वापस करेंगे। दो पासबुक संधारित की जावेगी, यदि कोई त्रुटि हो तो त्रुटि के ज्ञापन में सुधार कर उसी दिन समाशोधन करेंगे तथा संदर्भित पत्र में दी गई सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा वर्ष 2005-06 में निरीक्षण के समय पाया गया कि परिशिष्ट संख्या - 25 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।

3.19 आयकर की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण किया जाना

राज्य शासन के कर्मचारियों के वेतन देयकों से स्रोत पर आयकर की कटौती का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा, 112-स्रोत पर आयकर की कटौती के अंतर्गत किया जाना चाहिए परंतु परिशिष्ट संख्या - 26 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा उक्त प्राप्ति राशि रु. 15560185.00 का वर्गीकरण सीधे मुख्य शीर्ष 0021-आय पर निगम कर के अंतर्गत किया गया।

3.20 दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये। निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करे।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या - 27 में दर्शाये गये 53 कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधी वर्ष 2005-06 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

(पैरा-2.2)

वर्ष 2005-06 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे की जानकारी

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	लेखा प्राप्ति की निर्धारित तिथि	लेखा प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलम्ब		
				5 -14 दिन	15-30 दिन	एक माह से अधिक
1	बुरहानपुर 5/05	8.6.05	13.6.05	5	—	—
2	सीधी 6/05	8.7.05	13.7.05	5	—	—
3	इंदौर सिटी 7/05	8.8.05	13.8.05	5	—	—
4	मोतीमहल 9/05	8.10.05	13.10.05	5	—	—
5	ग्वालियर 10/05	8.11.05	14.11.05	6	—	—
6	कटनी 10/05	8.11.05	14.11.05	6	—	—
7	मोतीमहल 10/05	8.11.05	14.11.05	6	—	—
8	इंदौर सिटी 10/05	8.11.05	15.11.05	7	—	—
9	बुरहानपुर 10/05	8.11.05	16.11.05	8	—	—
10	छिन्दवाड़ा 10/05	8.11.05	16.11.05	8	—	—
11	नरसिंहपुर 10/05	8.11.05	16.11.05	8	—	—
12	भोपाल 10/05	8.11.05	19.11.05	11	—	—
13	जबलपुर सिटी 10/05	8.11.05	21.11.05	13	—	—
14	इंदौर सिटी 11/05	8.12.05	13.12.05	5	—	—
15	छिन्दवाड़ा 1/06	8.2.06	13.2.06	5	—	—
16	हरदा 1/06	8.2.03	13.2.06	5	—	—
17	नीमच 2/06	8.3.06	13.3.06	5	—	—
18	जबलपुर सिटी 3/06	8.4.06	13.4.06	5	—	—
19	छतरपुर 3/06	8.4.06	17.4.06	9	—	—
20	कटनी 3/06	8.4.06	17.4.06	9	—	—
21	मोतीमहल 3/06	8.4.06	17.4.06	9	—	—
22	ग्वालियर 3/06	8.4.06	24.4.06		16	—

परिशिष्ट-2

(पैरा-2.3)

आपत्ति पुस्तिका उचंत शीर्ष में लंबित मदों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि
1	अनूपपुर	15	92446
2	अशोकनगर	03	430696
3	भोपाल	90	2788739
4	बालाघाट	03	25000
5	बड़वानी	13	86396
6	बैतूल	30	473965
7	भिण्ड	06	134089
8	छतरपुर	32	1035342
9	छिन्दवाड़ा	28	851756
10	दतिया	25	663226
11	धार	02	136280
12	डिण्डोरी	16	188632
13	दमोह	01	6802
14	गुना	15	508298
15	ग्वालियर	43	2216050
16	होशंगाबाद	05	43745
17	इंदौर	19	801247
18	इंदौर सिटी	50	4274334
19	जबलपुर	110	3408387
20	जबलपुर सिटी	54	1786355
21	झाबुआ	31	550194
22	कटनी	40	708341
23	खण्डवा	08	64827
24	खरगोन	16	276604
25	मुरैना	36	10670522
26	मोतीमहल	07	33046
27	मन्दसौर	19	303182
28	नरसिंहपुर	20	374433
29	नीमच	01	21828
30	रायसेन	16	195918
31	राजगढ़	56	2917723
32	रतलाम	01	17086
33	रीवा	99	2464849
34	शिवपुरी	57	1496461
35	सागर	19	645330
36	श्योपुर	26	325873
37	सतना	50	2113055
38	सीहोर	19	392707
39	सिवनी	13	161517

40	शहडोल	164	4782606
41	सीधी	16	305220
42	उमरिया	15	265745
43	टीकमगढ़	59	1566195
44	उज्जैन	79	5050371
45	वल्लभ भवन	30	1452810
46	विदिशा	02	21000
47	विन्ध्याचल	03	38994

परिशिष्ट-3

(पैरा-2.4)

कोषालय उचंत शीर्ष में लंबित राशियों/मदों का विवरण

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि
1	ग्वालियर	10	283097
2	दतिया	09	255556
3	मोतीमहल	04	-15289
4	अशोकनगर	02	-650
5	श्योपुर	02	500
6	शिवपुरी	11	1178820
7	मुरैना	06	-140761
8	गुना	04	23569
9	भोपाल	10	-75139
10	वल्लभ भवन (भोपाल) (प्राप्तियां)	17 01	-568098 25000
11	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	12	698084
12	बैतूल (प्राप्तियां)	13 01	-72808 1000
13	होशंगाबाद (प्राप्तियां)	06 01	-1403751 1000
14	रायसेन	08	46208
15	राजगढ़	05	19088
16	विदिशा	01	-218
17	हरदा	02	-3470
18	सीहोर	03	215904
19	रीवा	15	728993
20	सतना	12	-2733763
21	शहडोल	16	2861463
22	सीधी (प्राप्तियां)	10 01	83341 -1334
23	उमरिया	01	60
24	अनूपपुर	03	86716
25	इंदौर	15	187643
26	सिटी इंदौर	12	721930
27	धार	22	297742
28	झाबुआ (प्राप्तियां)	28 15	-1796736 211432
29	खरगौन	04	-200
30	खण्डवा	04	62311
31	बड़वानी	07	-26054
32	बुरहानपुर	05	7273
33	उज्जैन (प्राप्तियां)	26 01	-703676 1687

34	रतलाम	06	4582
35	मंदसौर	04	19990
36	नीमच	09	368374
37	देवास	14	27573
38	शाजापुर	02	-675
39	जबलपुर	06	-210
40	सिटी जबलपुर	06	9105
41	कटनी	03	-11453
42	छिन्दवाड़ा	15	150231
43	नरसिंहपुर	05	279853
44	सिवनी	06	-163
45	मण्डला	02	2268
46	डिण्डोरी	21	-360481
47	बालाघाट	09	-312118
48	सागर (प्राप्तियां)	22 04	-1002444 2201554
49	दमोह	01	250
50	पन्ना	01	10798
51	छतरपुर	09	-65443.33
52	टीकमगढ़ (प्राप्तियां)	08 01	65537 200

परिशिष्ट-4

(पैरा-2.5)

वर्ष 2005-2006 के लिए डाक जीवन बीमा की वांछित अनुसूचियों का विवरण

स.कं.	कोषालय का नाम	माह	दर्ज कुल राशि	प्राप्त कटौती पत्रक (राशि रू.)	वांछित कटौती पत्रक (राशि रू.)
1	भोपाल	4 / 05	328	230	98
2	देवास	4 / 05	88	44	44
3	गुना	4 / 05	535	514	21
4	जबलपुर	4 / 05	382	238	144
5	झाबुआ	4 / 05	150	—	150
6	मोतीमहल	4 / 05	180	60	120
7	राजगढ़	4 / 05	1664	1508	156
8	रायसेन	4 / 05	208	139	69
9	उज्जैन	4 / 05	100	—	100
10	श्योपुर	4 / 05	376	—	176
11	नरसिंहपुर	5 / 05	168	—	168
12	राजगढ़	5 / 05	771	732	39
13	उज्जैन	5 / 05	50	—	50
14	उज्जैन	6 / 05	50	—	50
15	विदिशा	6 / 05	196	46	150
16	श्योपुर	6 / 05	188	—	188
17	रायसेन	7 / 05	173	35	138
18	शाजापुर	7 / 05	156	146	10
19	उज्जैन	7 / 05	50	—	50
20	विदिशा	7 / 05	346	—	346
21	श्योपुर	7 / 05	188	—	188
22	शाजापुर	8 / 05	146	40	106
23	विदिशा	8 / 05	196	66	130
24	श्योपुर	8 / 05	188	—	188
25	मण्डला	9 / 05	2000	—	2000
26	रायसेन	9 / 05	229	—	229
27	शहडोल	9 / 05	16	—	16
28	उज्जैन	9 / 05	50	—	50
29	बालाघाट	10 / 05	316	206	110
30	ग्वालियर	10 / 05	90	—	90
31	इंदौर	10 / 05	536	386	150
32	जबलपुर	10 / 05	332	250	82
33	खरगोन	10 / 05	90	—	90

34	मण्डला	10 / 05	3362	—	3362
35	नरसिंहपुर	10 / 05	194	97	97
36	रायसेन	10 / 05	139	—	139
37	सतना	10 / 05	143	128	15
38	उज्जैन	10 / 05	50	—	50
39	श्योपुर	10 / 05	376	—	376
40	ग्वालियर	11 / 05	200	—	200
41	रीवा	11 / 05	07	—	07
42	रायसेन	11 / 05	69	—	69
43	उज्जैन	11 / 05	50	—	50
44	श्योपुर	11 / 05	188	—	188
45	राजगढ़	12 / 05	1146	1007	139
46	शाजापुर	12 / 05	214	140	74
47	वल्लभ भवन	12 / 05	1292	1261	31
48	डिण्डोरी	12 / 05	150	—	150
49	ग्वालियर	12 / 05	122	—	122
50	खरगौन	12 / 05	45	—	45
51	श्योपुर	12 / 05	188	—	188
52	उज्जैन	12 / 05	50	—	50
53	इंदौर सिटी	12 / 05	600	—	600
54	ग्वालियर	1 / 06	142	—	142
55	जबलपुर	1 / 06	72	—	72
56	खरगौन	1 / 06	45	—	45
57	विन्ध्याचल	1 / 06	729	—	729
58	भोपाल	2 / 06	191	181	10
59	ग्वालियर	2 / 06	90	—	90
60	जबलपुर	2 / 06	144	—	144
61	खरगौन	2 / 06	45	—	45
62	शाजापुर	2 / 06	74	—	74
63	सीहोर	2 / 06	68	—	68
64	विन्ध्याचल	2 / 06	77	—	77
65	ग्वालियर	3 / 06	90	—	90
66	खरगौन	3 / 06	45	—	45
67	रायसेन	3 / 06	2397	—	2397
68	श्योपुर	3 / 06	188	—	188
69	विन्ध्याचल	3 / 06	16	—	16
योग			23534	7454	16080

परिशिष्ट-5

(पैरा-2.6.1)

वर्ष 2005-06 के अन्त तक अप्राप्त व्ही.डी.एम.एस. से संबंधित कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	संबंधित बैंक	माह
1	विन्ध्याचल भवन	एस.बी.आई विन्ध्याचल भवन	8/05, 1/06
2	रायसेन	एस.बी.आई सिलवानी	10/05
3	मोतीमहल (गवालियर)	एस.बी.आई औद्योगिक क्षेत्र	10/05
4	डिण्डोरी	एस.बी.आई डिण्डोरी	10/05
5	भोपाल	एस.बी.आई हमीदिया रोड	11/05
6	भोपाल	एस.बी.आई सुल्तानिया रोड	12/05
7	इंदौर सिटी	एस.बी.आई मेन ब्रांच	2/06
8	छिन्दवाड़ा	एस.बी.आई छिन्दवाड़ा (मेन ब्रांच)	3/06
9	रायसेन	एस.बी.आई मुख्य शाखा	3/06
10	शिवपुरी	एस.बी.एन. कोलारस	5/05
11	शिवपुरी	एस.बी.एन. पोहरी	8/05, 10/05
12	भिण्ड	एस.बी.एन. लहार	8/05, 3/06
13	विन्ध्याचल भवन	एस.बी.एन. एम.पी. नगर	8/05, 1/06
14	राजगढ़	एस.बी.एन. सारंगपुर	9/05
15	इंदौर सिटी	एस.बी.एन. पी.वाय. रोड	1/06, 3/06
16	इंदौर	एस.बी.एन. पी.वाय. रोड	2/06, 3/06
17	श्योपुर	एस.बी.एन. विजयपुर	3/06
18	राजगढ़	एस.बी.एन. ब्यावरा	3/06

परिशिष्ट-6

(पैरा-2.6.2)

व्ही.डी.एम.एस. में कोषालय अधिकारियों द्वारा सत्यापन में निवल राशि न दर्शाने वाले कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	राशि
1	मंदसौर	सी.बी.आई. सुवासरा	4 / 05	966150
2	नरसिंहपुर	एस.बी.आई. गाडरवाड़ा	4 / 05	7166247
3	रायसेन	एस.बी.आई. मुख्य शाखा	5 / 05	89420908
4	सीधी	एस.बी.आई. वैधान	5 / 05	393329742
5	सागर	एस.बी.आई. सिविल लाइन्स	5 / 05	189742706
6	सागर	एस.बी.आई. देवरी	5 / 05	9139755
7	उज्जैन	एस.बी.आई. माधवनगर	6 / 05	102121544
8	उज्जैन	एस.बी.आई. खाचरौद	6 / 05	3453837
9	नरसिंहपुर	एस.बी.आई. गाडरवाड़ा	6 / 05	8503164
10	इंदौर सिटी	एस.बी.आई. मुख्य शाखा	7 / 05	116956315
11	बैतूल	एस.बी.आई. बैतूल	8 / 05	46931924
12	छिन्दवाड़ा	एस.बी.आई. छिन्दवाड़ा	8 / 05	47562476
13	बैतूल	एस.बी.आई. बैतूल	9 / 05	26135118
14	नरसिंहपुर	एस.बी.आई. नरसिंहपुर	9 / 05	25090854
15	सतना	एस.बी.आई. सतना	10 / 05	174801835
16	बड़वानी	एस.बी.एन. बड़वानी	10 / 05	177128270
17	बैतूल	एस.बी.आई. बैतूल	11 / 05	14862872
18	भोपाल	एस.बी.आई. सुल्तानिया रोड	11 / 05	434804060
19	रायसेन	सी.बी.आई. उदयपुरा	12 / 05	6642483
20	छिन्दवाड़ा	एस.बी.आई. मुख्य शाखा	12 / 05	193468525
21	सतना	एस.बी.आई. मैहर	12 / 05	15965088
22	मंदसौर	सी.बी.आई. सुवासरा	1 / 06	162781
23	बैतूल	एस.बी.आई. बैतूल	1 / 06	94140741.50
24	मंदसौर	सी.बी.आई. सुवासरा	3 / 06	1960724
25	भोपाल	एस.बी.आई. सुल्तानिया रोड	3 / 06	5071073933
26	मण्डला	एस.बी.आई. मण्डला	3 / 06	610869535
27	मंदसौर	सी.बी.आई. सुवासरा	2 / 06	1591374
28	बुरहानपुर	एस.बी.आई. बुरहानपुर	2 / 06	34261378
29	छिन्दवाड़ा	एस.बी.आई. छिन्दवाड़ा	2 / 06	210155689

परिशिष्ट-7

(पैरा-2.6.5)

मार्च 2006 के अन्त की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों की सूची

क्र.	कोषालय/शाखा	माह	आर.बी.आई. राशि	कोषालय राशि	विसंगतियां
1	रीवा	12/90	398838 डेबिट	385945 क्रेडिट	12893 डेबिट
2	शहडौल	6/89	29284 डेबिट	26784 क्रेडिट	2500 डेबिट
3	शहडौल	4/90	8489 डेबिट	33058 क्रेडिट	24569 क्रेडिट
4	शहडौल	5/90	42399 डेबिट	36080 क्रेडिट	6319 डेबिट
5	शहडौल	7/90	57785.75 डेबिट	19717 क्रेडिट	38068.75 डेबिट
6	शहडौल	7/90	19865 डेबिट	17109 क्रेडिट	2756 डेबिट
7	शहडौल	9/90	13064 डेबिट	11811 क्रेडिट	1253 डेबिट
8	शहडौल	10/90	40952 डेबिट	19128 क्रेडिट	21824 डेबिट
9	शहडौल	11/90	19294 डेबिट	12037 क्रेडिट	7257 डेबिट
10	शहडौल	12/90	23968 डेबिट	14939 क्रेडिट	9029 डेबिट
11	शहडौल	1/91	13441 डेबिट	6366 क्रेडिट	7075 डेबिट
12	सीधी	6/87	15476.90 डेबिट	80233.85 क्रेडिट	64756.95 क्रेडिट
13	सीधी	10/87	16001.60 डेबिट	27001.60 क्रेडिट	11000 क्रेडिट
14	सीधी	11/87	25284.95 डेबिट	7807 क्रेडिट	17477.95 डेबिट
15	सीधी	12/87	9768.60 डेबिट	3328 क्रेडिट	6440.60 डेबिट
16	सीधी	2/88	12721 डेबिट	—	12721 डेबिट
17	सीधी	3/88	11361 डेबिट	16930 क्रेडिट	5569 क्रेडिट
18	सीधी	1/90	21892 डेबिट	19683 क्रेडिट	2209 डेबिट
19	सीधी	3/90	27962 डेबिट	24759 क्रेडिट	3203 डेबिट
20	सीधी	5/90	36502 डेबिट	43355 क्रेडिट	6853 क्रेडिट
21	सीधी	8/90	62521 डेबिट	18750 क्रेडिट	43771 डेबिट
22	सीधी	12/90	23661 डेबिट	13185 क्रेडिट	10476 डेबिट
23	सीधी	5/91	15896 क्रेडिट	12152 क्रेडिट	28048 क्रेडिट
24	सीधी	7/91	31914 डेबिट	24288 क्रेडिट	7626 डेबिट
25	सतना (सतना, सतना सिटी, मैहर एवं नागौद)	4/77	837541.22 क्रेडिट	838603.70 डेबिट	1062.48 डेबिट
26	सतना	9/88	121425.40 डेबिट	126425.40 क्रेडिट	5000 क्रेडिट
27	सतना	10/88	101782.20 डेबिट	101982.20 क्रेडिट	200 क्रेडिट
28	सतना	11/89	254899.30 डेबिट	258417.30 क्रेडिट	3518 क्रेडिट
29	मैहर	7/90	4500 डेबिट	3000 क्रेडिट	1500 डेबिट
30	सतना	6/91	80877 डेबिट	215281 क्रेडिट	134404 क्रेडिट
31	नागौद	6/91	—	3108 क्रेडिट	3108 क्रेडिट
32	हटा (दमोह)	12/87	1526 डेबिट	—	1526 डेबिट
33	सागर	6/90	129797 डेबिट	148547 क्रेडिट	18750 क्रेडिट
34	सागर	10/90	186333 डेबिट	188333 क्रेडिट	2000 क्रेडिट
35	छतरपुर	7/83	9640.56 डेबिट	344.34 क्रेडिट	9296.22 डेबिट
36	छतरपुर	3/84	41965.26 डेबिट	42154.26 क्रेडिट	189 क्रेडिट
37	छतरपुर	6/88	95185.60 डेबिट	95500.60 क्रेडिट	315 क्रेडिट
38	लौंडी (छतरपुर)	6/90	—	2204 क्रेडिट	2204 क्रेडिट
39	मंदसौर	11/89	292120 डेबिट	286597 क्रेडिट	5523 डेबिट
40	मंदसौर	1/90	340427.52 डेबिट	547792.75 क्रेडिट	207365.23 क्रेडिट
41	नीमच	4/91	—	4600 क्रेडिट	4600 क्रेडिट

42	रतलाम	7/90	64265 डेबिट	—	64265 डेबिट
43	देवास	9/88	34992.50 डेबिट	—	34992.50 डेबिट
44	देवास	11/88	10356.50 डेबिट	—	10356.50 डेबिट
45	ग्वालियर	8/89	1599070.20 डेबिट	1593477.20 क्रेडिट	5593 डेबिट
46	ग्वालियर	3/90	1282929.64 डेबिट	1245615.64 क्रेडिट	37314 डेबिट
47	मुरैना	10/90	169417 डेबिट	173167 क्रेडिट	3750 क्रेडिट
48	मुरैना	11/90	162692 डेबिट	164292 क्रेडिट	1600 क्रेडिट
49	छिन्दवाड़ा	11/90	137046 डेबिट	134044 क्रेडिट	3002 डेबिट
50	बालाघाट	6/90	58104 डेबिट	74604 क्रेडिट	16500 क्रेडिट
51	नैनपुर (मण्डला)	9/88	—	2350 क्रेडिट	2350 क्रेडिट
52	नरसिंहपुर	11/87	39930 डेबिट	47220.30 क्रेडिट	7290.30 क्रेडिट
53	जबलपुर	6/88	1358316.78 डेबिट	1357416.78 क्रेडिट	900 डेबिट
54	जबलपुर	11/88	747922.17 डेबिट	659494 क्रेडिट	88428.17 डेबिट
55	जबलपुर	3/89	1019081.07 डेबिट	1050927.07 क्रेडिट	31846 क्रेडिट
56	जबलपुर	12/89	512843.02 डेबिट	627000.84 क्रेडिट	114157.82 क्रेडिट
57	जबलपुर	7/90	1113099.82 डेबिट	1118049.82 क्रेडिट	4950 क्रेडिट
58	जबलपुर	12/90	792999.12 डेबिट	798193.12 क्रेडिट	5194 क्रेडिट
59	रायसेन	12/90	24129 डेबिट	—	24129 डेबिट
60	नसरुल्लागंज (सीहोर)	2/83	—	300 क्रेडिट	300 क्रेडिट
61	विदिशा	7/90	26780 डेबिट	—	26780 डेबिट
62	सुल्तानिया रोड भोपाल	3/89	817728.90 डेबिट	816311.90 क्रेडिट	1417 डेबिट
63	सुल्तानिया रोड भोपाल	11/89	960312 डेबिट	961843 क्रेडिट	1531 क्रेडिट
64	सुल्तानिया रोड भोपाल	3/91	1262288.66 डेबिट	331223.66 क्रेडिट	931065 डेबिट
65	सुल्तानिया रोड भोपाल	8/89	477772.80 डेबिट	479620.80 क्रेडिट	1848 क्रेडिट
66	हरदा	12/89	450 डेबिट	—	450 डेबिट
67	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	12/89	—	750 क्रेडिट	750 क्रेडिट
68	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	1/90	—	750 क्रेडिट	750 क्रेडिट
69	हरदा	1/90	1605 डेबिट	—	1605 डेबिट
70	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	11/90	—	750 क्रेडिट	750 क्रेडिट
71	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	12/90	—	750 क्रेडिट	750 क्रेडिट
72	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	1/91	—	750 क्रेडिट	750 क्रेडिट
73	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	2/91	—	750 क्रेडिट	750 क्रेडिट
74	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	3/91	—	750 क्रेडिट	750 क्रेडिट
75	होशंगाबाद	3/91	208866 डेबिट	208866 क्रेडिट 1333893 डेबिट	133893 डेबिट
76	इंदौर	4/92	11250 डेबिट	—	11250 डेबिट
77	इंदौर	5/92	191105 डेबिट	—	191105 डेबिट
78	इंदौर	6/92	216233 डेबिट	—	216233 डेबिट
79	इंदौर	7/92	63000 डेबिट	—	63000 डेबिट
80	इंदौर	8/92	10800 डेबिट	—	10800 डेबिट
81	इंदौर	2/93	76524 डेबिट	—	76524 डेबिट
82	बुद्धवाड़ा	8/89	45719 डेबिट	97434 क्रेडिट	51715 क्रेडिट
83	नागदा (उज्जैन)	9/89	—	1594 क्रेडिट	1594 क्रेडिट
84	नागदा (उज्जैन)	12/89	—	2000 क्रेडिट	2000 क्रेडिट
85	इंदौर	4/91	—	790166 क्रेडिट	790166 क्रेडिट
86	इंदौर	7/90	1459533.20 डेबिट	1492538.50 क्रेडिट	33005.30 क्रेडिट
87	मण्डला	3/89	27573 डेबिट	23834 क्रेडिट	3739 डेबिट

परिशिष्ट-8

(पैरा-2.6.6)

आर.बी.डी. अंकों में सुधार हेतु अपूर्ण जानकारी प्रेषित करने वाले कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय	शाखा	माह	वांछित जानकारी
1	झाबुआ	मुख्य शाखा	1 / 05	पुनरीक्षित लेखा, पुनरीक्षित आर.बी.डी. पत्रक, संशोधित भुगतान अनुसूची / प्रमाणक की छाया प्रतियां
2	झाबुआ	कोषालय अंतर	1 / 05	----तदैव----
3	देवास	खातेगांव	1 / 05	प्रभावित अन्य शीर्ष की जानकारी भुगतान अनुसूची / प्रमाणक, पुनरीक्षित लेखा, पुनरीक्षित आर.बी.डी. पत्रक, संशोधित भुगतान अनुसूची / प्रमाणक की छाया प्रतियां
4	मंदसौर	गरोठ	9 / 05	----तदैव----
5	मंदसौर	मल्हारगढ़	10 / 05, 2 / 06	----तदैव----
6	मंदसौर	मंदसौर	10 / 05	----तदैव----
7	मंदसौर	सुवासरा	2 / 06	व्ही.डी.एम.एस. अप्राप्त
8	पन्ना	पन्ना	4 / 05	अन्य प्रभावित लेखा शीर्ष की जानकारी, पुनरीक्षित लेखा, पुनरीक्षित आर.बी.डी. पत्रक भुगतान / प्राप्ति प्रमाणक की छाया प्रतियां

परिशिष्ट-9

(पैरा-2.8.2)

वर्ष 2005-06 में कोषालय द्वारा गलत शीर्षों में वर्गीकरण कर लेखा भेजा जाना

कोषालय का नाम	माह	गलत शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया गया	सही शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया जाना था	राशि
ग्वालियर	10/05	8658-101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	2071-पेंशन भुगतान	149853
सतना	11/05	8658-101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	8658-102-एच-036 ई. डिफेन्स एकाउन्ट्स	37868
सतना	11/05	8658-101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	8658-102-एच-036 सी.डी. ए. डिफेन्स एकाउन्ट्स	191184
होशंगाबाद	4/05	0021 -आय पर निगम कर से भिन्न कर	8658-112-स्रोत पर कर कटौती उचंत	66098
---	5/05	-----"	-----"	108079
---	6/05	-----"	-----"	48200
---	7/05	-----"	-----"	178825
---	8/05	-----"	-----"	54674
---	9/05	-----"	-----"	73305
---	10/05	-----"	-----"	128287
---	12/05	-----"	-----"	70975
---	1/06	-----"	-----"	41400
---	2/06	-----"	-----"	59588
---	3/06	-----"	-----"	5038
नरसिंहपुर	4/05	0021 -आय पर निगम कर से भिन्न कर	8658-112-स्रोत पर कर कटौती उचंत	170462
---	5/05	-----"	-----"	306977
---	6/05	-----"	-----"	145669
---	7/05	-----"	-----"	183690
---	8/05	-----"	-----"	111170
---	9/05	-----"	-----"	77604
---	10/05	-----"	-----"	270023
---	11/05	-----"	-----"	12200
रायसेन	5/05	0020-निगम कर	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	5144
सतना	4/05	0021 -आय पर निगम कर से भिन्न कर	8658-112-स्रोत पर कर कटौती उचंत	786448
---	5/05	-----"	-----"	501125
---	5/05	0033-दान कर	8782-102-लोक निर्माण प्रेषण	158625
---	6/05	0021 -आय पर निगम कर से भिन्न कर	8658-112-स्रोत पर कर कटौती उचंत	246880
---	7/05	0020-निगम कर	-----"	11416

---"---	7/05	0021 -आय पर निगम कर से भिन्न कर	8658-112-स्रोत पर कर कटौती उचंत	711721
---"---	8/05	-----"-----	-----"-----	364249
---"---	8/05	1003-भारतीय रेल महत्वपूर्ण लाइनें राजस्व प्राप्तियां	8782-102-लोक निर्माण प्रेषण	150
---"---	8/05	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	0056-जेल	1600
---"---	9/05	0021 -आय पर निगम कर से भिन्न कर	8658-112-स्रोत पर कर कटौती उचंत	358941
---"---	9/05	0024-ब्याज कर	8011-107-राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	200
---"---	10/05	0021 -आय पर निगम कर से भिन्न कर	8658-112-स्रोत पर कर कटौती उचंत	590310
---"---	11/05	-----"-----	-----"-----	28100
---"---	12/05	-----"-----	-----"-----	55420
---"---	1/06	-----"-----	-----"-----	7600
---"---	2/06	-----"-----	-----"-----	12000
---"---	3/06	0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	750
---"---	3/06	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	0250-अन्य सामाजिक सेवार्ये	250002
शिवपुरी	6/05	0221-प्रसारण	0220-सूचना तथा प्रचार	150
---"---	6/05	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	0029-भू-राजस्व	150
---"---	3/06	0221-प्रसारण	0220-सूचना तथा प्रचार	16259

परिशिष्ट-10
(पैरा-3.1)

वर्ष 2005-06 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अवधि
1	कोषालय दमोह	निरीक्षण	9/03 से 3/05
2	कोषालय सीहोर	निरीक्षण/व्यय	12/02 से 2/05
3	उपकोषालय जीरापुर	निरीक्षण	11/02 से 3/05
4	उपकोषालय खिलचीपुर	---"---	11/02 से 3/05
5	उपकोषालय शुजालपुर	---"---	11/02 से 3/05
6	उपकोषालय सारंगपुर	---"---	5/97 से 3/05
7	उपकोषालय ब्यावरा	---"---	5/02 से 3/05
8	उपकोषालय सुसनेर	---"---	3/03 से 3/05
9	उपकोषालय नरसिंहगढ़	---"---	1/03 से 3/05
10	उपकोषालय आगर	---"---	3/03 से 3/05
11	कोषालय विन्ध्याचल भवन भोपाल ----"-----	निरीक्षण व्यय लेखा	12/02 से 3/05 9/2000 से 3/05
12	जिला कोषालय जबलपुर	निरीक्षण व्यय लेखा	5/03 से 3/05 1/01 से 3/05
13	उपकोषालय लौंडी (छतरपुर)	निरीक्षण	11/02 से 3/05
14	जिला कोषालय रायसेन	निरीक्षण/व्यय लेखा	9/02 से 3/05
15	उपकोषालय निवाड़ी (टीकमगढ़)	निरीक्षण	9/02 से 3/05
16	उपकोषालय रामपुरा	---"---	1/03 से 4/05
17	उपकोषालय रहली	---"---	1/04 से 4/05
18	उपकोषालय जतारा	---"---	9/02 से 3/05
19	जिला कोषालय बालाघाट	व्यय लेखा निरीक्षण	6/01 से 4/05 12/03 से 4/05
20	सिटी कोषालय जबलपुर	---"---	5/03 से 3/05
21	उपकोषालय गैरतगंज	निरीक्षण	9/02 से 3/05
22	उपकोषालय उदयपुरा	---"---	9/02 से 4/05
23	उपकोषालय राजनगर	---"---	10/02 से 4/05
24	उपकोषालय देवरी	---"---	12/03 से 4/05
25	उपकोषालय सिहोरा	---"---	5/03 से 5/05
26	कोषालय उमरिया	---"---	5/03 से 4/05
27	उपकोषालय विजावर	---"---	9/03 से 4/05
28	उपकोषालय विजयराधवगढ़	---"---	4/03 से 4/05
29	उपकोषालय खुरई	---"---	1/04 से 4/05
30	उपकोषालय बक्सवाहा	निरीक्षण	9/03 से 4/05
31	उपकोषालय नौगांव	---"---	9/02 से 4/05
32	उपकोषालय गौहरगंज	---"---	9/02 से 4/05
33	उपकोषालय लटेरी	---"---	5/02 से 5/05

34	कोषालय होशंगाबाद	निरीक्षण	12/03 से 4/05
35	उपकोषालय गरोट (मंदसौर)	---"---	1/03 से 4/05
36	कोषालय विदिशा	निरीक्षण व्यय लेखा	9/02 से 4/05 8/2000 से 4/05
37	उपकोषालय भानपुरा	निरीक्षण	1/03 से 4/05
38	उपकोषालय शमशावद	---"---	10/02 से 5/05
39	जिला कोषालय शाजापुर	निरीक्षण/व्यय लेखा	2/03 से 5/05
40	उपकोषालय सिरोज (विदिशा)	निरीक्षण	9/02 से 5/05
41	उपकोषालय पाटन (जबलपुर)	---"---	5/03 से 5/05
42	उपकोषालय लखनादौन (सिवनी)	---"---	8/02 से 5/05
43	कोषालय छतरपुर ---"---	निरीक्षण व्यय लेखा	10/03 से 5/05 2/01 से 5/05
44	उपकोषालय परासिया (छिन्दवाड़ा)	निरीक्षण	12/03 से 5/05
45	उपकोषालय अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	---"---	12/03 से 5/05
46	उपकोषालय नटेरन (विदिशा)	---"---	11/02 से 5/05
47	उपकोषालय बरेली (रायसेन)	---"---	9/02 से 5/05
48	कोषालय टीकमगढ़	निरीक्षण/व्यय लेखा	11/03 से 5/05 1/01 से 5/05
49	उपकोषालय जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	निरीक्षण	12/03 से 5/05
50	उपकोषालय पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	---"---	12/03 से 5/05
51	उपकोषालय ग्यारसपुर (विदिशा)	---"---	9/02 से 5/05
52	कोषालय मन्दसौर	निरीक्षण/व्यय लेखा	1/03 से 5/05
53	कोषालय राजगढ़	---"---	8/03 से 5/05
54	उपकोषालय नसरुल्लागंज (सीहोर)	निरीक्षण	6/02 से 5/05
55	उपकोषालय बुधनी (सीहोर)	---"---	6/02 से 6/05
56	कोषालय गुना	निरीक्षण/व्यय लेखा	8/03 से 5/05 2/01 से 5/05
57	उपकोषालय बीना (सागर)	निरीक्षण	1/04 से 5/05
58	कोषालय मोतीमहल	निरीक्षण/व्यय लेखा	11/03 से 6/05
59	उपकोषालय मल्हारगढ़	निरीक्षण	7/04 से 6/05
60	उपकोषालय अलीराजपुर (झाबुआ)	---"---	7/04 से 6/05
61	उपकोषालय सीतामऊ (मंदसौर)	---"---	2/03 से 6/05
62	उपकोषालय जोबट (झाबुआ)	---"---	7/04 से 6/05
63	जिला कोषालय खरगौन	निरीक्षण/व्यय लेखा	6/04 से 6/05 9/01 से 6/05
64	उपकोषालय बाजना (रतलाम)	निरीक्षण	7/04 से 6/05
65	उपकोषालय पेटलावद (झाबुआ)	---"---	5/04 से 6/05
66	उपकोषालय सुवासरा (मंदसौर)	---"---	2/03 से 6/05
67	उपकोषालय थांदला (झाबुआ)	---"---	5/04 से 6/05
68	उपकोषालय आलोट (रतलाम)	---"---	8/04 से 6/05
69	उपकोषालय कन्नौद (देवास)	निरीक्षण	8/04 से 6/05
70	उपकोषालय घटिया (उज्जैन)	---"---	8/04 से 7/05
71	कोषालय बड़वानी	निरीक्षण/व्यय लेखा	6/04 से 6/05
72	उपकोषालय पानसेमल (बड़वानी)	निरीक्षण	9/04 से 6/05

73	उपकोषालय सैलाना (रतलाम)	निरीक्षण	8/04 से 7/05
74	उपकोषालय राजपुर (बड़वानी)	---"---	9/04 से 7/05
75	उपकोषालय कुक्षी (धार)	---"---	9/04 से 7/05
76	उपकोषालय सेंधवा (बड़वानी)	---"---	9/04 से 7/05
77	जिला कोषालय झाबुआ	निरीक्षण/व्यय लेखा	6/04 से 7/05
78	जिला कोषालय रतलाम	---"---	8/04 से 7/05
79	उपकोषालय धरमपुरी (धार)	निरीक्षण	9/04 से 7/05
80	उपकोषालय भीकनगांव (खरगौन)	---"---	6/02 से 7/05
81	उपकोषालय भैंसदेही (बैतूल)	---"---	12/02 से 7/05
82	उपकोषालय दोराहा (सीहोर)	---"---	12/02 से 7/05
83	उपकोषालय इच्छावर (सीहोर)	---"---	6/02 से 7/05
84	उपकोषालय बैहर (बालाघाट)	---"---	1/04 से 7/05
85	उपकोषालय सिंगरौली (सीधी)	---"---	5/03 से 7/05
86	उपकोषालय मुलताई (बैतूल)	---"---	12/03 से 8/05
87	उपकोषालय शाहपुर (बैतूल)	---"---	12/02 से 8/05
88	उपकोषालय चितरंगी (सीधी)	---"---	5/03 से 8/05
89	उपकोषालय सिंहावल (सीधी)	---"---	5/03 से 8/05
90	जिला कोषालय बैतूल	निरीक्षण/व्यय लेखा	8/04 से 8/05 1/02 से 8/05
91	उपकोषालय पचमढी (होशंगाबाद)	निरीक्षण	10/02 से 8/05
92	उपकोषालय सोहागपुर (होशंगाबाद)	---"---	10/02 से 8/05
93	उपकोषालय मऊगंज (रीवा)	---"---	9/04 से 8/05
94	उपकोषालय पिपरिया (होशंगाबाद)	---"---	7/02 से 8/05
95	उपकोषालय त्योंथर (रीवा)	---"---	9/04 से 8/05
96	जिला कोषालय भोपाल	निरीक्षण/व्यय लेखा	8/04 से 8/05
97	उपकोषालय सिरमौर (रीवा)	निरीक्षण	9/04 से 8/05
98	उपकोषालय बेगमगंज (रायसेन)	---"---	8/04 से 8/05
99	उपकोषालय सिलवानी (रायसेन)	---"---	8/04 से 8/05
100	उपकोषालय अमरपाटन (सतना)	---"---	9/04 से 8/05
101	उपकोषालय नागौद (सतना)	---"---	9/04 से 8/05
102	जिला कोषालय रीवा	निरीक्षण/व्यय लेखा	8/04 से 8/05
103	उपकोषालय कसरावद (खरगौन)	निरीक्षण	10/04 से 9/05
104	उपकोषालय सैगांव (खरगौन)	---"---	10/04 से 9/05
105	उपकोषालय चाचौड़ा (गुना)	---"---	10/04 से 9/05
106	उपकोषालय आरोन (गुना)	---"---	10/04 से 9/05
107	उपकोषालय मण्डलेश्वर (खरगौन)	---"---	10/04 से 9/05
108	जिला कोषालय छिन्दवाड़ा	निरीक्षण/व्यय लेखा	11/04 से 9/05
109	उपकोषालय गंधवानी (धार)	निरीक्षण	10/04 से 9/05
110	जिला कोषालय सिवनी	निरीक्षण/व्यय लेखा	12/04 से 9/05 8/02 से 9/05
111	उपकोषालय केवलारी (सिवनी)	निरीक्षण	12/04 से 9/05
112	उपकोषालय मनावर (धार)	---"---	10/04 से 9/05
113	उपकोषालय महेश्वर (खरगौन)	---"---	10/04 से 9/05
114	उपकोषालय राधौगढ़ (गुना)	---"---	10/04 से 9/05

115	उपकोषालय सरदारपुर (धार)	निरीक्षण	10/04 से 9/05
116	उपकोषालय बड़वाह (खरगौन)	---	11/04 से 10/05
117	उपकोषालय गोहद (भिण्ड)	---	11/04 से 10/05
118	उपकोषालय सवलगढ़ (मुरैना)	---	10/04 से 10/05
119	जिला कोषालय सागर	निरीक्षण/व्यय लेखा	11/04 से 10/05
120	उपकोषालय मेहगांव (भिण्ड)	निरीक्षण	11/04 से 10/05
121	उपकोषालय सनावद (खरगौन)	---	11/04 से 10/05
122	उपकोषालय हनुमना (रीवा)	---	12/04 से 10/05
123	जिला कोषालय नरसिंहपुर	निरीक्षण/व्यय लेखा	11/04 से 10/05
124	उपकोषालय गोटेगांव (नरसिंहपुर)	निरीक्षण	12/04 से 10/05
125	उपकोषालय मझौली (सीधी)	---	12/04 से 10/05
126	उपकोषालय कुसमी (सीधी)	---	11/04 से 10/05
127	उपकोषालय सौंसर (छिन्दवाड़ा)	---	12/04 से 10/05
128	जिला कोषालय मण्डला	निरीक्षण/व्यय लेखा	12/04 से 10/05 3/02 से 10/05
129	उपकोषालय चुरहट (सीधी)	निरीक्षण	12/04 से 11/05
130	उपकोषालय गढ़ाकोटा (सागर)	---	11/04 से 10/05
131	उपकोषालय कटंगी (बालाघाट)	---	12/04 से 11/05
132	उपकोषालय लांजी (बालाघाट)	---	12/04 से 11/05
133	उपकोषालय देवसर (सीधी)	---	12/04 से 11/05
134	जिला कोषालय शहडौल	निरीक्षण/व्यय लेखा	12/04 से 11/05
135	उपकोषालय रामपुरबधेलान (सतना)	निरीक्षण	10/04 से 11/05
136	उपकोषालय वारासिवनी (बालाघाट)	---	11/04 से 11/05
137	उपकोषालय मैहर (सतना)	---	9/04 से 11/05
138	उपकोषालय नैनपुर (मण्डला)	---	11/04 से 11/05
139	उपकोषालय ब्यौहारी (शहडौल)	---	12/04 से 11/05
140	उपकोषालय गंजवासोदा (विदिशा)	---	11/04 से 11/05
141	उपकोषालय निवास (मण्डला)	---	11/04 से 11/05
142	उपकोषालय वैरसिया (भोपाल)	---	12/04 से 11/05
143	जिला कोषालय सतना	निरीक्षण/व्यय लेखा	12/04 से 11/05
144	उपकोषालय कुरवाई (विदिशा)	निरीक्षण	11/04 से 11/05
145	जिला कोषालय सीधी	निरीक्षण/व्यय लेखा	11/04 से 11/05
146	जिला कोषालय ग्वालियर	---	01/04 से 11/05
147	उपकोषालय इन्दौर (इंदौर)	निरीक्षण	02/05 से 12/05
148	उपकोषालय देपालपुर (इंदौर)	---	01/05 से 12/05
149	उपकोषालय इटारसी (होशंगाबाद)	---	02/05 से 12/05
150	उपकोषालय बावई (होशंगाबाद)	---	02/05 से 12/05
151	उपकोषालय सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	---	02/05 से 12/05
152	उपकोषालय सांवेर (इंदौर)	---	01/05 से 12/05
153	जिला कोषालय डिण्डोरी	निरीक्षण/व्यय लेखा	01/04 से 12/05
154	उपकोषालय तेंदूखेड़ा (दमोह)	निरीक्षण	12/04 से 12/05
155	उपकोषालय नयाहरसूद छनेरा (खण्डवा)	---	01/05 से 12/05

156	उपकोषालय हटा (दमोह)	निरीक्षण	01/05 से 12/05
157	जिला कोषालय इंदौर	निरीक्षण/व्यय लेखा	01/05 से 12/05
158	उपकोषालय नर्मदानगर (खण्डवा)	निरीक्षण	01/05 से 12/05
159	उपकोषालय बण्डा (सागर)	---"---	01/05 से 12/05
160	उपकोषालय बदनावर (धार)	---"---	01/05 से 12/05
161	उपकोषालय बड़नगर (उज्जैन)	---"---	02/05 से 01/06
162	उपकोषालय करेली (नरसिंहपुर)	---"---	01/05 से 12/05
163	सिटी कोषालय इंदौर	निरीक्षण/व्यय लेखा	02/05 से 12/05
164	उपकोषालय महु (इंदौर)	निरीक्षण	02/05 से 01/06
165	उपकोषालय पोहरी (शिवपुरी)	---"---	03/05 से 01/06
166	जिला कोषालय उज्जैन	निरीक्षण/व्यय लेखा	02/05 से 01/06
167	उपकोषालय कोलारस (शिवपुरी)	निरीक्षण	03/05 से 01/06
168	उपकोषालय गाडरवारा (नरसिंहपुर)	---"---	01/05 से 01/06
169	उपकोषालय खातेगांव (देवास)	---"---	02/05 से 01/06
170	उपकोषालय बागली (देवास)	---"---	01/05 से 01/06
171	उपकोषालय करैरा (शिवपुरी)	---"---	03/05 से 01/06
172	उपकोषालय आष्टा (सीहोर)	---"---	02/05 से 01/06
173	जिला कोषालय धार	निरीक्षण/व्यय लेखा	01/05 से 01/06
174	उपकोषालय पिछोर (शिवपुरी)	निरीक्षण	03/05 से 01/06
175	उपकोषालय सोनकच्छ (देवास)	---"---	02/05 से 01/06
176	उपकोषालय खाचरौद (उज्जैन)	---"---	02/05 से 02/06
177	कोषालय मुरैना	निरीक्षण/व्यय लेखा	03/05 से 02/06
178	उपकोषालय महिदपुर (उज्जैन)	निरीक्षण	02/05 से 02/06
179	उपकोषालय जौरा (मुरैना)	---"---	03/05 से 02/06
180	जिला कोषालय देवास	निरीक्षण/व्यय लेखा	02/05 से 02/06
181	उपकोषालय तराना (उज्जैन)	निरीक्षण	02/05 से 02/06
182	उपकोषालय अम्बाह (मुरैना)	---"---	03/05 से 02/06
183	उपकोषालय डबरा (ग्वालियर)	---"---	03/05 से 02/06
184	कोषालय वल्लभ भवन	निरीक्षण/व्यय लेखा	01/05 से 02/06 06/02 से 02/06
185	उपकोषालय अटेर (भिण्ड)	निरीक्षण	03/05 से 02/06
186	जिला कोषालय शिवपुरी	निरीक्षण/व्यय लेखा	03/05 से 02/06
187	उपकोषालय लहार (भिण्ड)	निरीक्षण	03/05 से 02/06
188	जिला कोषालय खण्डवा	निरीक्षण/व्यय लेखा	02/05 से 02/06
189	जिला कोषालय भिण्ड	---"---	03/05 से 02/06

परिशिष्ट-11

(पैरा-3.4)

बैंक द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरणों में अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	सीहोर	75492
2	होशंगाबाद	827656
3	रायसेन	75515
4	राजगढ़	71486
5	विदिशा	507373
6	ग्वालियर	10974
7	गुना	161609
8	शिवपुरी	27482
9	मुरैना	26406
10	इंदौर	135094
11	झाबुआ	138046
12	खरगोन	619936
13	बड़वानी	409061
14	खण्डवा	54723
15	रतलाम	653539
16	सागर	61089
17	दमोह	79981
18	जबलपुर	44772
19	मण्डला	19919
20	नरसिंहपुर	704898
21	डिण्डोरी	69446
22	सिवनी	17393
योग		4791890

परिशिष्ट-12

(पैरा-3.5)

पेंशन के त्रुटिपूर्ण सारांशीकरण के परिणामस्वरूप सारांशीकृत राशि का अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि रू.
1	होशंगाबाद	169812
2	ग्वालियर	27842
3	शिवपुरी	214290
4	भिण्ड	63487
5	धार	11261
6	खण्डवा	120381
7	उज्जैन	111888
8	देवास	113721
9	रतलाम	1031945
10	सागर	1031571
11	मण्डला	146444
12	नरसिंहपुर	74952
13	बालाघाट	1573120
14	रीवा	135401
15	सतना	42650
16	सीधी	229464
17	शहडोल	547287
योग		5645516

परिशिष्ट-13

(पैरा-3.6)

समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	699003972
2	होशंगाबाद	17024808
3	शिवपुरी	2301945
4	पिपरिया (होशंगाबाद)	2074493
5	सागर	973140
योग		721378358

परिशिष्ट-14

(पैरा-3.7)

व्यक्तिगत जमा के राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	बैतूल	13619.42
2	इटारसी (होशंगाबाद)	397930
3	सोहागपुर (होशंगाबाद)	1548198.47
4	पिपरिया (होशंगाबाद)	49895
5	बेगमगंज (रायसेन)	3105
6	सिलवानी (रायसेन)	8680
7	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	1749855
8	गंजवासोदा (विदिश)	489573
9	डबरा (ग्वालियर)	726996
10	मोतीमहल (ग्वालियर)	4999742
11	शिवपुरी	1184742
12	करैरा (शिवपुरी)	24582.59
13	कोलारस (शिवपुरी)	28389
14	भिण्ड	1952731
15	लहार (भिण्ड)	394295
16	अटेर (भिण्ड)	57647
17	मुरैना	8096562.85
18	अम्बाह (मुरैना)	2135167.67
19	जौरा (मुरैना)	839058.95
20	देपालपुर (इंदौर)	94616
21	महू (इंदौर)	241596.84
22	बदनावर (धार)	616477
23	जोबट (झाबुआ)	1300
24	नया हरसूद (खण्डवा)	302520
25	तराना (उज्जैन)	10400.79
26	खाचरौंद (उज्जैन)	21069.73
27	देवास	14500
28	आगर (शाजापुर)	950816
29	सुसनेर (शाजापुर)	1002500
30	भानपुरा (मंदसौर)	115887.62
31	हटा (दमोह)	1425
32	नौगांव (छतरपुर)	7883
33	बक्सवाहा (छतरपुर)	2064.69
34	टीकमबढ़	157559
35	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	1222503

36	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	130575
37	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	186263
38	परासिया (छिन्दवाड़ा)	563173
39	डिण्डोरी	220971
40	कटंगी (बालाघाट)	123609
41	रीवा	783422
42	मऊगंज (रीवा)	56547.65
43	सिरमौर (रीवा)	9313
44	सतना	1386842
45	सीधी	83182
योग		33007786.27

परिशिष्ट-15

(पैरा-3.8)

अदावाकृत राजस्व जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	बैरसिया (भोपाल)	462144
2	विन्ध्याचल (भोपाल)	71418131
3	सीहोर	216303
4	नसरुल्लागंज (सीहोर)	1275528
5	इच्छावर (सीहोर)	170804.90
6	दोराहा (सीहोर)	69013
7	बैतूल	1035149
8	मुलताई (बैतूल)	427339
9	होशंगाबाद	4509339
10	इटारसी (होशंगाबाद)	454506
11	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	295116
12	सोहागपुर (होशंगाबाद)	139216.50
13	पिपरिया (होशंगाबाद)	186441
14	बाबई (होशंगाबाद)	110580
15	बेगमगंज (रायसेन)	7158
16	गौहरगंज (रायसेन)	15000
17	गैरतगंज (रायसेन)	67033
18	नटेरन (विदिशा)	42255
19	डबरा (ग्वालियर)	117196
20	मोतीमहल (ग्वालियर)	10925587
21	राधौगढ़ (गुना)	155780
22	शिवपुरी	118307
23	करेरा (शिवपुरी)	247012
24	पिछोर (शिवपुरी)	179635.19
25	कोलारस (शिवपुरी)	134816
26	गोहद (भिण्ड)	2638
27	लहार (भिण्ड)	1116428
28	मैहगांव (भिण्ड)	2492
29	अटेर (भिण्ड)	63950
30	मुरैना	101012
31	सबलगढ़ (मुरैना)	151315
32	अम्बाह (मुरैना)	323814.70
33	जौरा (मुरैना)	233383
34	देपालपुर (इंदौर)	3347256
35	इंदौर उपकोषालय (इंदौर)	29363630
36	कसरावद (खरगौन)	43460
37	महेश्वर (खरगौन)	49119
38	सनावद (खरगौन)	3400
39	सेगांव (खरगौन)	30515

40	सेंधवा (बड़वानी)	209460
41	हरसूद (खण्डवा)	445632
42	नर्मदानगर (खण्डवा)	3000
43	तराना (उज्जैन)	35118
44	बागली (देवास)	130491
45	सोनकच्छ (देवास)	122853
46	कन्नौद (देवास)	302269
47	शुजालपुर (शाजापुर)	351072
48	भानपुरा (मंदसौर)	17500
49	रामपुरा (नीमच)	48582.54
50	बीना (सागर)	106364
51	रहली (सागर)	195974
52	छतरपुर	297856
53	नौगांव (छतरपुर)	45639
54	बक्सवाहा (छतरपुर)	3500
55	निवाड़ी (टीकमगढ़)	241877
56	पाटन (जबलपुर)	335722
57	सिटी जबलपुर	816736
58	सौंसर (छिन्दवाडा)	1093208
59	नैनपुर (मण्डला)	35220
60	निवास (मण्डला)	542878
61	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	241794
62	डिण्डोरी	1398966
63	कटंगी (बालाघाट)	81192
64	लांजी (बालाघाट)	16185
65	सिरमौर (रीवा)	2712582
66	सतना	361516
67	मैहर (सतना)	182433
योग		137987421.83

परिशिष्ट-16

(पैरा-3.9)

सिविल न्यायालय द्वारा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	अंतर की राशि
1	देवास	खातेगांव	3830
2	देवास	बागली	157976
3	देवास	सोनकच्छ	2734
4	विदिशा	गंजवासौदा	189435
5	होशंगाबाद	इटारसी	824581
6	छिन्दवाड़ा	सौंसर	239760
7	शिवपुरी	कोलारस	165969
8	शिवपुरी	पोहरी	35906
9	ग्वालियर	डबरा	18330
10	सीहोर	आष्टा	263248
योग			1901769

परिशिष्ट-17

(पैरा-3.10)

व्यक्तिगत निक्षेप के खाताधारकों से प्राप्त अवशेष प्रमाण पत्रों के विवरण

स.क्र.	कोषालय का नाम	कुल खाताधारकों की संख्या	प्राप्त प्रमाण पत्रों की संख्या	अप्राप्त प्रमाण पत्रों की संख्या
1	अनूपपुर	03		03
2	अशोकनगर	19		19
3	बड़वानी	20	14	06
4	बालाघाट	24		24
5	बैतूल	29	05	24
6	भिण्ड	79	01	78
7	भोपाल	15	02	13
8	बुरहानपुर	14	14	
9	छतरपुर	25	17	08
10	छिन्दवाड़ा	34		34
11	दमोह	09	02	07
12	दतिया	16		16
13	देवास	08	05	03
14	धार	21	21	
15	डिण्डोरी	12		12
16	गुना	15	06	09
17	ग्वालियर	118	01	117
18	हरदा	14		14
19	होशंगाबाद	29	10	19
20	इंदौर सिटी	129	01	128
21	इंदौर	14		14
22	जबलपुर सिटी	44	27	17
23	जबलपुर	21	01	20
24	झाबुआ	31		31
25	खरगौन	23	09	14
26	कटनी	47		47
27	खण्डवा	50	20	30
28	मण्डला	14	02	12
29	मोतीमहल	98		98
30	मंदसौर	12	09	03
31	मुरैना	396		396
32	नरसिंहपुर	29		29
	नीमच	23	10	13
34	पन्ना	08	07	01
35	राजगढ़	08		08
36	रतलाम	44	28	16
37	रीवा	48		48
38	रायसेन	19		19

39	सागर	46	06	40
40	शाजापुर	20		20
41	सतना	31		31
42	सीहोर	12		12
43	सिवनी	25		25
44	शहडोल	15	01	14
45	श्यापुर	12		12
46	शिवपुरी	27		27
47	सीधी	10		10
48	टीकमगढ़	16		16
49	उज्जैन	38	11	27
50	उमरिया	05		05
51	वल्लभ भवन	22		22
52	विदिशा	13		13
53	विन्ध्याचल	31		31
योग		1885	230	1655

परिशिष्ट-18

(पैरा-3.11)

कोषालय नियम - 27 के अंतर्गत अनियमित आहरण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	भोपाल	13118842
2	बैरसिया (भोपाल)	2617045
3	विन्ध्याचल (भोपाल)	196120795
4	वल्लभ भवन (भोपाल)	176857166
5	आष्टा (सीहोर)	333425
6	इच्छावर (सीहोर)	2253760
7	दोराहा (सीहोर)	1484970
8	बैतूल	1270553
9	मुलताई (बैतूल)	7911154
10	शाहपुर (बैतूल)	7529219
11	इटारसी (होशंगाबाद)	2964028
12	पचमढी (होशंगाबाद)	2812098
13	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	264923
14	सोहागपुर (होशंगाबाद)	1221730
15	पिपरिया (होशंगाबाद)	9958099
16	बाबई (होशंगाबाद)	425812
17	रायसेन	5386392
18	बेगमगंज (रायसेन)	717304
19	सिलवानी (रायसेन)	811100
20	बरेली (रायसेन)	2868369
21	गैरतगंज (रायसेन)	402250
22	उदयपुरा (रायसेन)	900140
23	राजगढ़	509607
24	विदिशा	33592367
25	गंजवासोदा (विदिशा)	5426837
26	कुरवाई (विदिशा)	6439538
27	सिरोंज (विदिशा)	10238481
28	लटेरी (विदिशा)	4170557
29	शमशाबाद (विदिशा)	2877603
30	नटेरन (विदिशा)	9789382
31	ग्यारसपुर (विदिशा)	4573194
32	मोतीमहल (ग्वालियर)	61305439
33	चांचौड़ा (गुना)	3500
34	पिछोर (शिवपुरी)	3961595
35	पोहरी (शिवपुरी)	325095
36	भिण्ड	1504548
37	गोहद (भिण्ड)	53260
38	सबलगढ़ (मुरैना)	80410
39	अम्बाह (मुरैना)	4409655
40	देपालपुर (इंदौर)	998116

41	महु (इंदौर)	355850
42	साविर (इंदौर)	359825
43	नगर कोषालय इंदौर	15483270
44	बदनावर (धार)	1627935
45	झाबुआ	38941845
46	खरगौन	237343886
47	भीकनगांव (खरगौन)	2793563
48	बड़वानी	2824524
49	राजपुर (बड़वानी)	550867
50	पानसेमल (बड़वानी)	2552573
51	संधवा (बड़वानी)	423025
52	खण्डवा	912788
53	हरसूद (खण्डवा)	1877608
54	पुनाला (नर्मदानगर) (खण्डवा)	1719674
55	उज्जैन	190588
56	बड़नगर (उज्जैन)	30983
57	खाचरौद (उज्जैन)	354050
58	घटिया (उज्जैन)	913000
59	देवास	565176
60	बागली (देवास)	5250
61	खातेगांव (देवास)	172479
62	सोनकच्छ (देवास)	244204
63	रतलाम	94455
64	मल्हारगढ़ (मंदसौर)	158202
65	सुवासरा (मंदसौर)	102445
66	सागर	30274301
67	खुरई (सागर)	4152054
68	रहली (सागर)	7290422
69	देवरी (सागर)	4273034
70	तेंदूखेड़ा (दमोह)	4986995
71	छतरपुर	40710001
72	टीकमगढ़	29504385
73	छिन्दवाड़ा	431965
74	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	711285
75	निवास (मण्डला)	6461
76	नरसिंहपुर	2831670
77	गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर)	43902
78	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	2624420
79	डिण्डोरी	2088311
80	वारासिवनी (बालाघाट)	2488421
81	कटंगी (बालाघाट)	3844398
82	लांजी (बालाघाट)	2937026
83	रीवा	5494000
84	सतना	1015497
85	मैहर (सतना)	13838310
86	सीधी	1425382
87	सिंगरौली (सीधी)	376983

88	कुसमी (सीधी)	2720367
89	चुरहट (सीधी)	3122300
90	मझौली (सीधी)	3252250
योग		1069530563

परिशिष्ट-19

(पैरा-3.12)

सहायक अनुदान/अंशदान की राशि का गलत प्रपत्र पर आहरण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	भोपाल	850000
2	बैरसिया (भोपाल)	739000
3	विन्ध्याचल (भोपाल)	2787000
4	वल्लभ भवन (भोपाल)	4895389
5	सीहोर	7521430
6	बैतूल	1595482
7	मुलताई (बैतूल)	1417500
8	शाहपुर (बैतूल)	19000
9	सोहागपुर (होशंगाबाद)	844587
10	पिपरिया (होशंगाबाद)	667900
11	रायसेन	2635300
12	बेगमगंज (रायसेन)	235700
13	सिलवानी (रायसेन)	769033
14	बरेली (रायसेन)	806989
15	गैरतगंज (रायसेन)	2181049
16	उदयपुरा (रायसेन)	1455689
17	राजगढ़	755000
18	विदिशा	5540000
19	गंजबासोदा (विदिशा)	675000
20	कुरवाई (विदिशा)	1181800
21	सिरोंज (विदिशा)	4726950
22	लटेरी (विदिशा)	2019241
23	नटेरन (विदिशा)	5999425
24	ग्यारसपुर (विदिशा)	2973650
25	ग्वालियर	6690000
26	मोतीमहल (ग्वालियर)	2156998
27	करैरा (शिवपुरी)	10000
28	पिछोर (शिवपुरी)	70000
29	पोहरी (शिवपुरी)	50000
30	लहार (भिण्ड)	127000
31	मुरैना	1279366
32	अम्बाह (मुरैना)	4504455
33	इंदौर	4551000
34	महु (इंदौर)	19950
35	साविर (इंदौर)	94650
36	गंधवानी (धार)	5707000
37	झाबुआ	22067245
38	पेटलावद (झाबुआ)	674372
39	खरगोन	4618400

40	भीकनगांव (खरगोन)	3655364
41	बड़वानी	3181686
42	राजपुर (बड़वानी)	66500
43	पानसेमल (बड़वानी)	9000
44	सेधवा (बड़वानी)	600000
45	सागर	5710000
46	खुरई (सागर)	595568
47	रहली (सागर)	489520
48	देवरी (सागर)	1700788
49	छतरपुर	19321410
50	टीकमगढ़	2290200
51	छिन्दवाड़ा	1907000
52	मण्डला	5256040
53	नैनपुर (मण्डला)	1861000
54	नरसिंहपुर	54541
55	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	458208
56	डिंडोरी	12000000
57	सिवनी	2516000
58	केवलारी (सिवनी)	2221060
59	वारासिवनी (बालाघाट)	5068550
60	कटंगी (बालाघाट)	32750
61	लांजी (बालाघाट)	32099160
62	रीवा	7480433
63	सतना	6895000
64	सीधी	2039500
65	देवसर (सीधी)	3820900
66	शहडोल	1051131
योग		228293859

परिशिष्ट-20

(पैरा-3.13)

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु अनियमित आहरण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	भोपाल	9725000
2	बैतूल	26530225
3	सिलवानी (रायसेन)	12210000
4	बरेली (रायसेन)	150029
5	ग्वालियर	9498000
6	मोतीमहल (ग्वालियर)	3660000
7	इंदौर	2500000
8	नगर कोषालय इंदौर	7531500
9	सरदारपुर (धार)	100000
10	झाबुआ	1553000
11	खरगौन	28838257
12	महेश्वर (खरगौन)	4185000
13	बड़वानी	26764525
14	राजपुर (बड़वानी)	135000
15	पानसेमल (बड़वानी)	1917000
16	छिन्दवाड़ा	33629235
17	डिण्डोरी	1750000
18	सिवनी	4044000
19	केवलारी (सिवनी)	33000
20	बालाघाट	8391200
21	बैहर (बालाघाट)	574000
22	रीवा	25081000
23	सतना	969365
24	सीधी	3306635
योग		213075971

परिशिष्ट-21

(पैरा-3.14)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	भोपाल	2203045
2	बैरसिया (भोपाल)	25576
3	सीहोर	59420
4	आष्टा (सीहोर)	49299
5	बुधनी (सीहोर)	25217
6	इच्छावर (सीहोर)	8251
7	दोराहा (सीहोर)	7377
8	बैतूल	155984
9	मुलताई (बैतूल)	45645
10	भैंसदेही (बैतूल)	12902
11	होशंगाबाद	86664
12	इटारसी (होशंगाबाद)	89119
13	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	51834
14	सोहागपुर (होशंगाबाद)	28648
15	पिपरिया (होशंगाबाद)	66883
16	रायसेन	51103
17	बेगमगंज (रायसेन)	16855
18	सिलवानी (रायसेन)	13421
19	बरेली (रायसेन)	10850
20	गौहरगंज (रायसेन)	64241
21	गैरतगंज (रायसेन)	11016
22	उदयपुरा (रायसेन)	34119
23	राजगढ़	26948
24	ब्यावरा (राजगढ़)	32094
25	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	44728
26	सारंगपुर (राजगढ़)	45386
27	खिलचीपुर (राजगढ़)	12121
28	जीरापुर (राजगढ़)	16069
29	विदिशा	158030
30	गंजवासौदा (विदिशा)	79720
31	कूरवाई (विदिशा)	33575
32	सिरोंज (विदिशा)	38498
33	लटेशी (विदिशा)	16703
34	नटेरन (विदिशा)	21920
35	ग्यारसपुर (विदिशा)	6133
36	ग्वालियर	1165053
37	डबरा (ग्वालियर)	171119
38	मोतीमहल (ग्वालियर)	112288
39	गुना	110096

40	आरौन (गुना)	26605
41	राधौगढ (गुना)	36781
42	शिवपुरी	177873
43	करैरा (शिवपुरी)	5488
44	पिछोर (शिवपुरी)	29262
45	कोलारस (शिवपुरी)	11046
46	पोहरी (शिवपुरी)	3923
47	भिण्ड	219534
48	गोहद (भिण्ड)	70790
49	लहार (भिण्ड)	99294
50	मेहगांव (भिण्ड)	57758
51	अटेर (भिण्ड)	2247
52	मुरैना	170267
53	सबलगढ (मुरैना)	44598
54	अम्बाह (मुरैना)	142471
55	जौरा (मुरैना)	97932
56	इंदौर	923956
57	देपालपुर (इंदौर)	28621
58	महू (इंदौर)	102298
59	सावेर (इंदौर)	39062
60	धार	167587
61	बदनावर (धार)	54260
62	कुक्षी (धार)	21895
63	धरमपुरी (धार)	36521
64	मनावर (धार)	34028
65	सरदारपुर (धार)	24981
66	अलीराजपुर (झाबुआ)	5032
67	जोबट (झाबुआ)	2913
68	पेटलावद (झाबुआ)	13076
69	थांदला (झाबुआ)	22565
70	खरगौन	96990
71	बड़वाह (खरगौन)	31641
72	भीकनगांव (खरगौन)	23376
73	कसरावद (खरगौन)	25727
74	महेश्वर (खरगौन)	15586
75	सनावद (खरगौन)	38786
76	सैगांव (खरगौन)	5015
77	मण्डलेश्वर (खरगौन)	10639
78	बड़वानी	34743
79	राजपुर (बड़वानी)	22653
80	पानसेमल (बड़वानी)	4085
81	सैधवा (बड़वानी)	22580
82	खण्डवा	147201
83	नया हरसूद (खण्डवा)	19300
84	उज्जैन	412192
85	महिदपुर (उज्जैन)	45261
86	तराना (उज्जैन)	33825

87	बड़नगर (उज्जैन)	64217
88	खाचरौद (उज्जैन)	32697
89	घटिया (उज्जैन)	4811
90	देवास	245066
91	खातेगांव (देवास)	34075
92	सोनकच्छ (देवास)	36974
93	कन्नौद (देवास)	15136
94	रतलाम	344105
95	आलोट (रतलाम)	22892
96	शाजापुर	43457
97	आगर (शाजापुर)	25115
98	सुसनेर (शाजापुर)	18727
99	मंदसौर	46267
100	गरोठ (मंदसौर)	94501
101	मल्हारगढ़ (मंदसौर)	33657
102	सीतामऊ (मंदसौर)	10703
103	रामपुरा (नीमच)	4936
104	सागर	240939
105	खुरई (सागर)	31717
106	बीना (सागर)	59993
107	रहली (सागर)	18872
108	देवरी (सागर)	32598
109	गढ़ाकोटा (सागर)	7724
110	बण्डा (सागर)	34269
111	दमोह	91299
112	हटा (दमोह)	31674
113	तेंदूखेड़ा (दमोह)	9944
114	छतरपुर	109024
115	नौगांव (छतरपुर)	56557
116	बिजावर (छतरपुर)	23575
117	बक्सवाहा (छतरपुर)	1371
118	लौंडी (छतरपुर)	53592
119	राजनगर (छतरपुर)	35132
120	टीकमगढ़	88179
121	जतारा (टीकमगढ़)	18033
122	निवाड़ी (टीकमगढ़)	16836
123	जबलपुर	593055
124	सिहोरा (जबलपुर)	59451
125	पाटन (जबलपुर)	38848
126	छिन्दवाड़ा	206944
127	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	45141
128	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	26607
129	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	14290
130	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	8891
131	परासिया (छिन्दवाड़ा)	16560
132	मण्डला	61169
133	नैनपुर (मण्डला)	8656

134	निवास (मण्डला)	9687
135	नरसिंहपुर	120620
136	गाडरवाडा (नरसिंहपुर)	80318
137	करेली (नरसिंहपुर)	32656
138	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	34902
139	डिण्डोरी	23502
140	सिवनी	114693
141	लखनादोन (सिवनी)	14141
142	केवलारी (सिवनी)	15025
143	बालाघाट	83952
144	बैहर (बालाघाट)	6170
145	वारासिवनी (बालाघाट)	59976
146	कटंगी (बालाघाट)	15259
147	विजयराधवगढ (कटनी)	10276
148	रीवा	105130
149	हनुमना (रीवा)	22464
150	मऊगंज (रीवा)	33266
151	सिरमौर (रीवा)	18105
152	त्योथर (रीवा)	40587
153	सतना	65434
154	नागौद (सतना)	32999
155	मैहर (सतना)	19439
156	अमरपाटन (सतना)	36869
157	रामपुर बधेलान (सतना)	13399
158	सीधी	68260
159	सिंगरौली (सीधी)	59971
160	चुरहट (सीधी)	4166
161	देवसर (सीधी)	11937
162	शहडोल	61470
163	ब्यौहारी (शहडोल)	15512
164	उमरिया	13789
योग		13232464

परिशिष्ट-22

(पैरा-3.15)

मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक/अप्रत्याशित भण्डारण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	अधिक भण्डारण की राशि रू.
1	मोतीमहल (ग्वालियर)	249786133
2	मुरैना	2910007
3	धार	31249560
4	थांदला (झाबुआ)	7271828
5	बड़वाह (खरगौन)	5399342
6	सनावद (खरगौन)	1289219
7	बाजना (रतलाम)	38023
8	गरोट (मंदसौर)	36809400
9	सीमामऊ (मंदसौर)	7721151
10	गढ़ाकोटा (सागर)	1313400
11	बण्डा (सागर)	10225760
12	जबलपुर	24976981
13	मण्डला	67966
14	नैनपुर (मण्डला)	25363
15	सतना	1636385
16	मैहर (सतना)	12286280
17	चुरहट (सीधी)	194535
18	देवसर (सीधी)	837920
योग		394039253

परिशिष्ट-23

(पैरा-3.16)

प्रतिबंधित अवधि के पश्चात राशियों का भुगतान किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	बैरसिया (भोपाल)	89598
2	पिपरिया (होशंगाबाद)	144308
3	ग्वालियर	950045
4	भिण्ड	2015255
5	मुरैना	9271443
6	अम्बाह (मुरैना)	1460435
7	इंदौर	12452536
8	महू (इंदौर)	880600
9	बदनावर (धार)	107963
10	उज्जैन	1750572
11	बड़नगर (उज्जैन)	140000
12	देवास	94459
13	निवास (मण्डला)	1000000
14	नरसिंहपुर	86448
15	डिण्डोरी	19297965
16	सतना	4088936
17	सीधी	37677
योग		53868240

परिशिष्ट-24

(पैरा-3.17)

बिना आहरण एवं संवितरण प्राधिकार पत्र के अनाधिकृत अवधि में अनियमित भुगतान

स.क्र.	कोषालय/ उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	सीहोर	4652466
2	मुलताई (बैतूल)	2669643
3	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	188958
4	जीरापुर (राजगढ़)	372049
5	शिवपुरी	85192
6	करेरा (शिवपुरी)	178113
7	पोहरी (शिवपुरी)	109193
8	भिण्ड	209451
9	मुरैना	573231
10	अलीराजपुर (झाबुआ)	160154
11	उज्जैन	139728
12	शाजापुर	1744900
13	मंदसौर	211288
14	बक्सवाहा (छतरपुर)	37473
15	राजनगर (छतरपुर)	210265
16	सिवनी	5139402
17	उमरिया	844922
योग		17526428

परिशिष्ट-25

(पैरा-3.18)

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन एवं समाधान अनुदेशों का पालन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि
1	बडनगर (उज्जैन)	2/05 से 1/06
2	निवास (मण्डला)	11/04 से 11/05
3	चुरहट (सीधी)	12/04 से 11/05
4	सबलगढ़ (मुरैना)	10/04 से 10/05
5	हनुमना (रीवा)	12/04 से 10/05
6	सरदारपुर (धार)	10/04 से 9/05
7	लांजी (बालाघाट)	12/04 से 11/05
8	गंधवानी (धार)	10/04 से 9/05
9	नैनपुर (मण्डला)	11/04 से 11/05
10	कुक्षी (धार)	9/04 से 7/05
11	जिला कोषालय रायसेन	9/02 से 3/05
12	बेगमगंज (रायसेन)	8/04 से 8/05
13	सिलवानी (रायसेन)	8/04 से 8/05
14	जिला कोषालय रतलाम	8/04 से 7/05
15	बाबई (होशंगाबाद)	2/05 से 12/05
16	मुलताई (बैतूल)	12/03 से 8/05
17	खाचरौद (उज्जैन)	2/05 से 2/06
18	बागली (देवास)	1/05 से 1/06

परिशिष्ट-26

(पैरा-3.19)

आयकर की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	पिपरिया (होशंगाबाद)	189426
2	नगर कोषालय इंदौर	5812652
3	नरसिंहपुर	5888937
4	गंजवासौदा (विदिशा)	484300
5	लांजी (बालाघाट)	228187
6	वारासिवनी (बालाघाट)	958870
7	नैनपुर (मण्डला)	752099
8	करेरा (शिवपुरी)	431137
9	पिछोर (शिवपुरी)	708460
10	सांवेर (इंदौर)	106117
योग		15560185

परिशिष्ट-27

(पैरा-3.20)

दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम
1	भोपाल	28	पानसेमल (बड़वानी)
2	नसरुल्लागंज (सीहोर)	29	सेंधवा (बड़वानी)
3	इच्छावर (सीहोर)	30	हरसूद (खण्डवा)
4	भैंसदेही (बैतूल)	31	महिदपुर (उज्जैन)
5	गैरतगंज (रायसेन)	32	तराना (उज्जैन)
6	ब्यावरा (राजगढ़)	33	बड़नगर (उज्जैन)
7	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	34	खाचरौंद (उज्जैन)
8	सारांगपुर (राजगढ़)	35	घटिया (उज्जैन)
9	जीरापुर (राजगढ़)	36	बीना (सागर)
10	विदिशा	37	देवरी (सागर)
11	कुरवाई (विदिशा)	38	गढ़ाकोटा (सागर)
12	लटेरी (विदिशा)	39	बक्सवाहा (छतरपुर)
13	नटेरन (विदिशा)	40	नैनपुर (मण्डला)
14	ग्यारसपुर (विदिशा)	41	निवास (मण्डला)
15	पोहरी (शिवपुरी)	42	नरसिंहपुर
16	सबलगढ़ (मुरैना)	43	गोटेगांव (नरसिंहपुर)
17	बदनावर (धार)	44	बैहर (बालाघाट)
18	कुक्षी (धार)	45	कटंगी (बालाघाट)
19	धरमपुरी (धार)	46	हनुमना (रीवा)
20	सरदारपुर (धार)	47	मऊगंज (रीवा)
21	अलीराजपुर (झाबुआ)	48	त्योथर (रीवा)
22	जोबट (झाबुआ)	49	अमरपाटन (सतना)
23	थांदला (झाबुआ)	50	रामपुर बधेलान (सतना)
24	कसरावद (खरगौन)	51	कुसमी (सीधी)
25	महेश्वर (खरगौन)	52	चितरंगी (सीधी)
26	सैंगांव (खरगौन)	53	ब्यौहारी (शहडोल)
27	मण्डलेश्वर (खरगौन)		